भारत

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

वार्षिक प्रतिवेदन 2008 - 2009

वार्षिक प्रतिवेदन
2008–2009

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

टायसेल बायो पार्क

5 वीं मंजिल, तरमणि मार्ग

तरमणि, चेन्नै - **600 113**

द्वारा प्रकाशित

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
टायसेल बायो पार्क
5वीं मंजिल, तारामणि मार्ग
तारामणि, चेन्नै - 600 113
दूरभाष - 91-44-22541074 / 2254 2777
फैक्स - 91-44-2254 1200
ई - मेल -secretary@nbaindia.in
www.nbaindia.org

सत्यमेव जयते

डॉ. पी.एल.गौतम
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
चेन्नै

प्रस्तावना

जैव विविधता के समृद्ध धरोहर के रुप में भारत को पहचाना जाता है जिसके फलस्वरुप वर्षों से उसका उत्पादन 3.5 अरब साल से ज्यादा है । प्राकृतिक प्रक्रिया एवं उससे ज्यादा मानव प्रभाव से यह एक विकास की उत्क्रांति है । इसका सीधा संबंध जीवन से है जिस पर हम निर्भर हैं वह हमें भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है । जैव विविधता का संरक्षण हमारी जीविका के लिए आवश्यक है और सभी प्राणियों के लिए एवं भारतीय संस्कृति एवं जीवन शैली के अभिन्न अंग के रुप में इसका प्रयोग जारी है । जैसा कि विभिन प्रकार के तत्वों के कारण विश्व स्तर पर जैव विविधता के संकटापन खतरा बढ़ता जा रहा है । जैविक स्रोत पर मानव गतिविधियों का भी बहुत दबाव पड़ रहा है । संविभजन का बढ़ना एवं निवासी एवं परिणामत: जैव विविधता की हानि । ये हानियाँ अपूर्णीय है एवं हमारे जीवन के लिए खतरा है ।

संरक्षण का भारत में एक लंबा इतिहास है एवं प्राकृतिक स्रोतों का सतत रुप से प्रयोग किया जारहा है । औपचारिक विविधयाँ, नीतियाँ एवं संरक्षण हेतु कार्यक्रम एवं अतीत में अनेक दशकों से जैव स्रोतों का सतत रुप से उपयोग किया जा रहा है । विगत कई वर्षों से भारत ने एक स्थिर संगठित संरचना का विकास किया है और देश में जैव विविधता के सुरक्षा हेतु एक मजबूत कानून एवं नीति का निर्माण किया है ।

अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिलाने के लिए एवं जैव विविधता के अधिक दबाव पर बल देकर भारत सरकार ने वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम बनाया एवं 2004 में जैविक नियमावली बनाई । तदनुसार अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं सथानीय स्तर पर यांत्रिक सुविधाएं उपलबध की गई है । विभिन्न प्रकार के कार्य, गतिविधियाँ एवं रा.जै.वि.प्रा. के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु प्राधिकरण के सम्मानित सदस्यों द्वारा ईमानदारी एवं समर्पित भाव से जो समर्थन एवं मार्गदर्शन मिला, मैं उनकी सराहना करते हुए आभार व्यक्त करता हूं । साथ ही, मैं रा.जै.वि.प्राधिकरण के कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा कि उनके प्रयास से ही यह रिपोर्ट आज प्राप्त हुई ।

मैं आशा करता हूं कि प्रकाशन विभाग वर्ष 2008 - 2009 गतिविधियों की झांकियां भी उपलबध कराएगा । रिपोर्ट में सुधार हेतु मैं टिप्पणियों का स्वागत करता हूं।

पी.एल. गौतम

सी. अचलेंदर रेड्डी, आई.एफ.एस.
सचिव,
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
चेन्नै

आभार

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की ओर से, मैं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन से यह वार्षिक रिपोर्ट पूर्ण हो सकी है । मैं प्राधिकरण के सदस्यों का आभारी हूं जिनके प्रयास से ही यह वार्षिक रिपोर्ट बनी।

मैं राज्य जैविक विधिता बोर्ड का बहुत आभारी हूं कि उनके बहुमूल्य योगदान से यह रिपोर्ट बनकर तैयार हुई ।

मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा कि प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (वैज्ञानिक लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत किया गया । मैं डॉ. के. वेंकटरामन का भी आभारी हूं । उस समय सचिव थे, उस दौरान रा.जै.वि. प्राधिकरण की रिपोर्ट बन रही थी । इस रिपोर्ट में उनका योगदान महत्वपूर्ण है ।

मैं यह भी सराहना करता हूं कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस कार्य को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम किया है ।

हमारे अध्यक्ष डॉ. पी.एल. गौतम जी का ईमानदारी एवं कृतज्ञता से अभार व्यक्त करता हूं कि उनकी बहुमूल्य सलाह एवं रिपोर्ट अंतिम बनाने में सतत अभिप्रेरणा एवं समय के भीतर ही वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

सी. अचलेंदर रेड्डी

विषय सूची

1 कार्यपालक - सार........ 11

2 प्रस्तावना 13

3 प्राधिकरण का संविधान 17

4 प्राधिकरण की बैठकें........ 19

5 विशेषज्ञ समितियाँ........ 21

6 जैव विविधता संरक्षण और संप्रेषण 23

7 अभिवृद्धि एवं हितलाभ भागीदारी........ 28

8 विनिमय एवं अधिसूचनाएँ........ 31

9 प्राधिकरण के लेखे एवं वित्त........ 33

10 वार्षिक योजना - 2009 - 2010........ 34

11 राज्य जैविक विविधता बोर्डों के कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ........ 37

परिशिष्ट

1 प्राधिकरण के सदस्य........ 53

2 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की संगठन तालिका 57

3 राष्ट्रीय जैव विविधता प्रा धिकरण के कर्मचारियों की संख्या........ 58

4 राष्ट्रीय जैव विविधत प्राधिकरण के महत्वपूर्ण प्रकाशन........ 60

5 प्रशिक्षण/संगोष्ठियाँ/ कार्यशालाओं इत्यादि के लिए सहयोग दिया........ 61

6 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नागरिकों का चार्ट........ 62

7 लेखापरीक्षा रिपोर्ट........ 63

1 कार्यपालक - सार

जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िवादिता को ध्यान में रखते हुए (रू.जै.वि.) और जैव विविधता पर अतिरिक्त भार को बताने के लिए भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 और जैव विविधता नियम 2004 को अधिनियमित किया । तदनुसार अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू की गई । जैव विविधता अधिनियम के भाग (8) के तहत चेन्नै (तमिलनाडु) में भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (रा.जै.प्रा.) की स्थापना की गई । राज्य जैव विविधता बोर्डों (र्रा.जै.बो.) की स्थापना राज्य सरकार ने और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना क्षेत्रीय निकायों द्वारा की गई । यह दस्तावेज राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वर्ष 2008 - 2009 की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

प्राधिकरण में पूर्ण कालिक अध्यक्ष और सचिव हैं तथा यह पादेन और गैर-सरकारी सदस्यों के साथ प्रक्रियारत हैं ।प्राधिकरण को वरिष्ठ परामर्शदाताओं का प्रावधान द्वारा सशक्त किया गया है । खाली पादों को भरने की कार्रवाई की गई या प्रगति में है । इस अवधि में प्र स प्राधिकरण की तीन बैठकें की गई । इन बैठकों में राष्ट्रीय धराहरों को पदांकित और जैव विविधता को लागू करने की अधिसूचनाओं सहित मृदा पर विशेषज्ञ समिति का गठन, तलछट और सूक्ष्म जैव विविधता, सामान्यत: व्यापार पण्य (वस्तुएँ), अभिवृद्धि एवं हितलाभ आबंटन के लिए आवेदन पत्रों का मूल्यांकन, औषधीय पौधों और खतरों में / संकटापन्न स्थानिक किस्मों का संरक्षण, जैव विविधता धरोहर स्थलों के संरक्षण का प्रबंध और राष्ट्रीय जैव विविधता विधि (रा.जै.वि.) के प्रयोग के नियम के दिशा-निर्देश तैयार करना, छठे वेतन आयोग का कार्यान्वयन, वार्षिक लेखे 2007 - 2008 और 2008 - 2009 की वार्षिक योजना का अनुमोदन इत्यादि महत्वपूर्ण निर्णय इन बैठकों में लिए गए।

राष्ट्रीय जैव विविधता ने 19 कार्यशालाओं/ प्रदर्शनियों / सम्मेलनों / प्रशिक्षणों/ जागृति कार्यक्रमों में भाग लिया और / या समर्थन किया । कर्नाटक सरकार ने नल्लूर में देवनहल्ली तालुक, बेंगलूर जिले के इमली- स्थल को जैव विविधता धरोहर स्थलके रूप में अधिसूचित किया । तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्य ने राज्य जैव विविधता बोर्डों के गठन को अधिसूचित किया । इस प्रकार विभिन्न राज्यों में 1450 जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन किया गया और संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्डों / जैव विविधता प्रबंध समितियों ने 350 पंजीयन तैयार किए ।

इस अवधि के दौरान अनुसंधान/ वाणिज्यिक प्रयोग के लिए, अनुसंधान परिणामों के अंतरण, बौद्धिक संपदा अधिकार, अन्य पक्ष हस्तांतरण और सह-अनुसंधान के 104 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 71 आवेदन पत्र अनुमोदित हुए और 35करारों पर हस्ताक्षर किए गए। परिणाम स्वरूप 21राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्ड और कुछ जिलों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने राज्य विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के साथ मिलकर अभिवृद्धि आवेदन पत्रों पर निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान चार आवेदकों की राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के साथ सुनवाई हुई। दो आवेदकों की सुनवाई हुई और अन्य आवेदकों ने अगली तारीख की माँग की जिन पर विचार किया गया।

भारत से बाह्य राष्ट्र को बौद्धिक संपदा के अधिकार देने का विरोध करने के आवश्यक कदम उठाने के लिए भारत से किसी जैव संसाधन को प्राप्त करने या इस जैव संसाधन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने न्यायिक कक्ष की स्थापना का कार्रवाई की । जैव संसाधनों पर बौद्धिक संपदा का अधिकार और परंपरागत ज्ञान की सुरक्षा से संबंधित तीन संगोष्ठियों/ परामर्शों में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने भाग लिया एवं समर्थन किया । वर्ष 2008-2009 के दौरान राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने पाँच प्रकाशन प्रकाशित किए ।

इस रिपोर्ट में वर्ष 2008 -2009 के वार्षिक लेखे और 2009-2010 की वार्षिक योजना को दिखाई गई है । अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता निधि (रा.जै.नि.) की स्थापना की गई है और 21.50 लाख रूपए से अधिक की राशि राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के लेखे में डाली गई है ।

राज्य जैव विविधता बोर्डों ने कार्यशालाएँ / प्रदर्शनियाँ / संगोष्ठियों / प्रशिक्षण / जागृति कार्यक्रम, जैव विविधता दिवस मनाना इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए । राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने नवगठित राज्य जैव विविधता बोर्ड को जैव विविधता प्राधिकरण समितियाँ बनाने के लिए अवसंरचना को सुगठित करने के लिए 94 लाख रूपए वित्तीय अनुदान के रूप में जारी किए । राज्य जैव विविधता बोर्डों ने अन्य अभिकरण, जो खोज में संलग्न / बी.एच.पी. को चिह्नित व समर्थन करने, जैविक प्रबंधन समितियों के गठन करने, स्वस्थान और पूर्वस्थान संरक्षण संकटकालीन प्रजातियों के संरक्षण सहित इत्यादि का समर्थन किया ।

Bos gaurus

2 प्रस्तावना

भारत अपनी 3.5 अरब पुरानी महान जैव विविधता की धरोहर के रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण प्राकृतिक प्रक्रिया और मानव के बढ़ते प्रभाव का क्रमिक विकास का परिणाम है । यह जीवन के संपोषण का आधार है और हम पूर्णतया भोजन, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं के लिए इस पर निर्भर हैं । हमारे जीवन के लिए अस्तित्व और संपोषण के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति का भाग है । राष्ट्रीय विकास और गरीबी उन्मूलन में जैव विविधता और पारिस्थितिकी-प्रणाली सेवाएँ योगदान देती हैं ।

जैव विविधता का वितरण विश्वव्यापी स्तर पर समान नहीं है । कटिबंधीय क्षेत्रों के कुछ देखों में अधिक संख्या में संकटापन्न किस्में और उच्च किस्मों की अधिकता उनकी विशेषता है। ये महाभिन्न देख कहलाते हैं, भारत को मिलाकर उन 17 देशों के समूह को समान मनस्क महाभिन्न देश (स.म.म.दे.) कहते हैं ।

जैव विविधता में पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन को सम्मिलित किया गया है । यह अपने की तीन स्तरों में व्यक्त करती है: किस्मों की विविधता जो सभी प्रकार के जीवों की विविधता जो सभी प्रकार के जीवों की संख्या और प्रकार को दर्शाती है, अनुवांशिक विविधता जो विभिन्न प्रकार के जीवों में अनुवांशिक भिन्नता को दर्शाती है, और पारिस्थितिकी जैव विविधता जो प्राकृतिक आवास, जैविक समुदाय और पारिस्थितिकीय प्रक्रिया को दर्शाती है । इन सब के होते हुए भी पृथ्वी पर रहने वाली किस्मों की संख्या का सामयिक ज्ञान अभी अधूरा है, एक अनुमान के अनुसार 8 से 14 अरब किस्में विद्यमान हैं । अब तक 1.7 अरब किस्मों काही पता लग सका है और अधिकतर की खोज की जा रही है । भारत एक महाभिन्न विविधता वाला देश है । 2.4 % भू-स्थल और 4% जल भाग है जिसमें विश्व की दर्ज की गई 7.8 % किस्मों का ही लेखा है । अब तक 45,500 पौधों की किस्में और 91,000 पशुओं की किस्मों का ही प्रलेख है । अनुमानित 3.75 अरब जीव प्रजातियों में से वैश्विक स्तर पर 2,79,900 किस्मों की सूक्ष्म संरचना का उल्लेख किया गया है । भारत में 5,650 सूक्ष्म जीवों की किस्मों का ही उल्लेख है । भौतिक गुणों और जलवायु परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी प्रणाली जैसे जंगलों, घास के मैदानों, पहाड़ों, बंजर जमीन, तटवर्ती और समुद्री क्षेत्रों (कच्छ वनस्पाति और जल-शैल) और मरूस्थल में आवास करती हैं।

भारत भी आठ प्राथमिक केंद्रों में से है जहाँ पौधों को रोपा जाता है और फसल विविधता के ज्ञान का केंद्र है, जिसमें लगभग 375 जंगलों से निकट संबंधित किस्में चालव, दाल बाजरा, सब्जियाँ, फल और तन्तु पौधे शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, तकरीबन 255 नस्लें जिनमें क्षेत्रीय/सीमा के पालतू जानवर (जैसे- पशु, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा और कुक्कुट)शामिल हैं, भी भारत में पाई जाती हैं।

मानव पर्यावरण और विकास पर 1972 में हुए स्टॉक होम सम्मेलन से ही भारत पर्यावरण मामलों पर भी मुख्य अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों में भाग ले रहा है । पर्यावरणीय मामलों, जैव विविधता पर सम्मेलन (जै.वि.सं.) सहित मामलों पर देश ने योगदान दिया है और बहुपक्षीय करारों का मुख्य समर्थन किया है । जैव विविधता संवहन के अनुसार निम्न लिखित वृहत परामर्शदात्री प्रक्रिया है । जैव विविधता से संबंधित कार्यक्रमों एवं आवहन की योजना और 1990 में एक राष्ट्रीय नीति और जैव विविधता पर एक वृहत स्तर पर कार्यवाही योजना विकसित की गई । भारत ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 बनाया जो 1994 में शुरू की गई कार्रवाई और प्रक्रिया का ही परिणाम है । कुछ देखों में से एक इस तरह के अधिनियम के बनाने

वाला भारत है । इस अधिनियम का प्राथमिक उ-ेश्य जैव विविधता के संवहन की व्यवस्थ करना, जैव विविधता की अभिवृद्धि और इससे संबंधित प्रारंभिक ज्ञान के नियंत्रण सहित ताकि उनके प्रयोग के संबंध में हित लाभों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके ।

जैविक संसाधनो के क्षीयमान होने के कारणों में बढ़ोतरी 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन के अनुसार मार्ग दर्शित है । जैविक संसाधनों और अनुवांशिक संसाधनों की अभिवृद्धि को महत्व देना केवल सुदृढ़ पर्यावरण के लिए और राष्ट्रीय कानून के अनुसार होने चाहिए यह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देशों के प्रभुसत्तासम्पन्न अधिकार की मान्यता प्रदान की । भारत एक महाभिन्न जैव विविधता देश और जैव विविधता सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने वाला देश है । जैव विविधता सम्मेलन पर ध्यान देने वाला,. और जैविक संसाधनों पर विस्तृत दबाव को व्यवहार करने वाला देश है। इसलिए भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 और जैव विविधता अधिनियम 2004 बनाए । तदनुसार, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्र, राज्य और क्षेत्रीय मशीनरियों का निर्माण किया गया । अधिनियम में धारा 8 के अंतर्गत चेन्नै (तमिलनाडु) में अक्तूबर 2003 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की रचना क्षेत्रीय संगठनों द्वारा की गई ।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्रधिकरण के कृत्य निम्न हैं :

- जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित गतिविधियों, जैविक संसाधनों के प्रयोग में सभी घटकों की साम्ययुक्त सहभागिता, सम्पोषण के बारे में भारत सरकार को सलाह देना, अनुमोदन एवं कृत्यों को नियमित करना।

- जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 3, 4, और 6 के अनुसार जैविक संसाधनों की अभिवृद्धि के बारे में मार्गदर्शन, कृत्यों को नियंत्रित करना और हितलाभ सहभागिता की सम्यक और सही व्याख्या करना । जैविक संसाधनों को प्राप्त करने और या संबंधित ज्ञान के प्रयोग के लिए ऐसे व्यक्तियों/ राष्ट्रों संगठनों को राष्ट्रीय जीव प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना है ।

- देश की जैविक विविधता के संरक्षण के लिए जरूरी उपाय करना इसके साथ ही देश से बाहर जैविक संसाधन जो अन्य देशों को भारत से प्राप्त होते हैं, या इन जैविक संसाधनों से संबंधित ज्ञान जो भारत से व्युत्पन्न हुआ है उसे बौद्धिक संपदा के अधिकार देने का विरोध करना और आवश्यक जरूरी उपाय करना ।

- धरोहर स्थलों को अधिसूचित करने के लिए जैव विविधता क्षेत्र का चयन और उसके प्रबंधन के उपायों का सुझाव राज्य सरकार को देना ।

- जाति जैव विविधता पंजीकरण (जा.जै.पं) के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग देगा ।

- इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अन्य आवश्यक क्रियाकलापों का भी निर्वाह करना ।

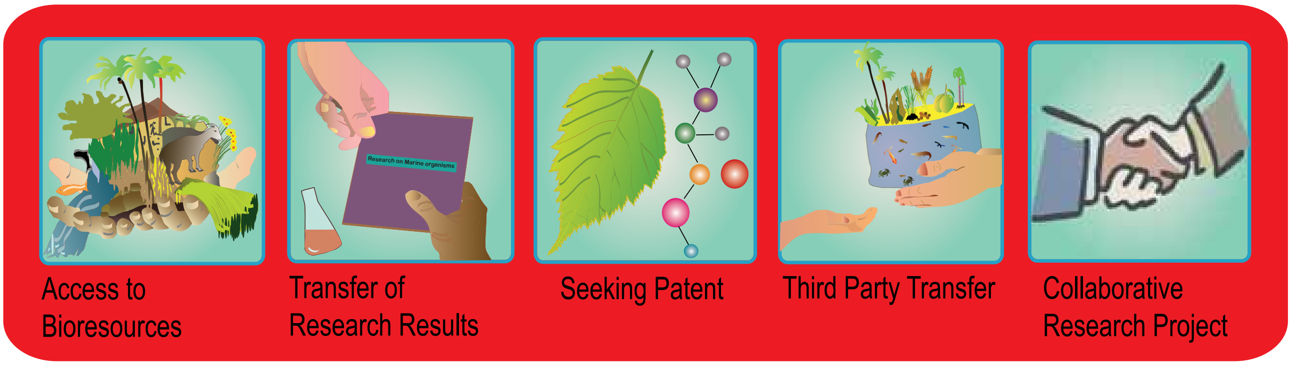

सरकारी अधिनियम की धारा 22 के अनुसार राज्य सरकारों सरकारी राजपत्र अधिसूचना ने बोर्डों की स्थापना की है । राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या टिलीजेटियो संगठन रा.जै.बोर्ड के कृत्य और शक्तियों का निर्वाह कर सकते हैं ।

राज्य विविधता बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए हैं जिसके एक अध्यक्ष और संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच सदस्य होंगे और जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित मामलों, जो कि संसाधनों का संपोषण और जैविक संसाधनों के प्रयोग से संबंधित साम्य हितलाभ सहभागिता के लिए पाँच सदस्य विशेषज्ञों में से नियुक्त किए जाएँगे । राज्य जैव विविधता बोर्ड के कृत्य निम्न है :-

- जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के संपोषण और जैविक संसाधनों के प्रयोग से संबंधित साम्य हितलाभ सहभागिता से संबंधित मामलों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के विषय में राज्य सरकार को सलाह देना ।

- भारतीयों द्वारा जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक प्रयोग या जैविक सर्वेक्षण और जैविक प्रयोग के लिए निवेदन या अनुमोदन देने को नियंत्रित करना ।

- इस अधिनियम को लागू करने के लिए या राज्य सरकार द्वारा आदेशित अन्य कृत्यों का निर्वहन करना ।

जैवि विविधता से संबंधित सूक्ष्म जीव और ज्ञान को लिपिबद्ध करना, घरेलू पशुधन और जानवरों की नस्लों, लोक किस्में और कृषक भू-प्रजातियों का संरक्षण, प्राकृतिक आवासों के संरक्षण सहित जैव विविधता का प्रलेखन और सपाोषण, संरक्षण के बध्र्वे के उ-ेश्य के लिए अपने क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के लिए धारा 41 के अनुसार क्षेत्रीय संगठनों ने जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया है । जैव विविधता अधिनियम के नियम (22.1) के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है । इसके एक अध्यक्ष और क्षेत्रीय संगठन द्वारा नामित छह व्यक्ति हैं, जिसमें एक तिहाई महिला और 18% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हैं । जैव विविधता प्रबंध समितियों के कृत्य निम्न हैं :-

- क्षेत्रीय लोगों से सलाह करके अधिकृत जाति का जैव विविधता पंजीयन तैयार और रख-रखाव करना । जैव विविधता प्रबंध समिति एक रजिस्टर का रख-रखाव करती है जिसमें जैव विविधता अभिवृद्धि के विवरण के बारे में सूचनाएँ और परंपरागत ज्ञान दिया होता है। वसूले गए शुल्क का विवरण और प्राप्त लाभ तथा सहभागिता के तरीके का विवरण दिया जाता है ।

- क्षेत्रीय वैद्यों और प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा जैविक संसाधनों के प्रयोग के आंकड़े रखने संबंधी जो मामले राज्य जैव विविधता बोर्ड/ प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रेषित किए जाते हैं उस पर सलाह देना ।

हितलाभ दावेदारों के लिए रास्ता बनाना, जैविक संसाधनों की उन्नति और संरक्षण या इन क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास और संबंधित ज्ञान के लिए अधिनियम की धारा 27, 32 और 43 के अंतर्गत क्रमश: राष्ट्रीय राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर जैव विविधता निधि की स्थापना की गई है ।

केंद्र और राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है :-

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करना ।

- जैविक विविधता के प्रयोग के संपाोषण और उन्नति एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुकूलता, योजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित करना । जैव विविधता की संकटापन्न, घनी प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए अधि प्रायोग, दुरूप्रायोग या उपोक्षा को रोकने के लिए तत्काल सुधारक कदम उठाने के लिए संबंधित राज्य सरकार को निदेश जारी करना ।

- जैविक विविधता के प्रयोग और विकास में अंतर्क्षेत्रीय योजना या संबंधित क्षेत्र के कार्यक्रम और नीतियों का समाकलन करना । राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा संस्तुत जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा संस्तुत जैव विविधता से संबंधित क्षेत्रीय लोगों के ज्ञान का आदर और संरक्षण का प्रयत्न करना ।

- पर्यावरण और जैव विविधता, जैव विविधता के संपोषण और मानव स्वास्थ्य पर या जीवों की शरीर रचना पर प्रयोग के प्रतिकूल प्रभाव या संकट को नियमित या प्रबंध करने संबंधी परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना ।

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्रधिकरण से विचार विमर्श करके केंद्र सरकार यदि चाहे तो: (अ) संकटापन्न किस्मों को अधिसूचित करना और उनके एकत्रीकरण को नियंत्रित और निषेधित करना, पुनर्वास और संरक्षण करना, (ब) विभिन्न प्रकार के जैविक संसाधनों के लिए संस्थानों को भंडार के रूप में नामित करना और (स) पण्यों के सामान्य व्यापार के लिए कुछ जैविक संसाधनों को छूट देना ।

- राज्य सरकार क्षेत्रीय निकायों से विचार विमर्श करके जैव विविधता के धरोहर स्थलों को अधिसूचित करना, (केंद्रीय सरकार से विचार विमर्श करके) धरोहर स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नियम बनाना और, प्रभावित लोगों का पुनर्वास / प्रतिपूर्ति के लिए योजनाएँ शुरू करना ।

वर्ष 2008-2009 के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन की प्रगति जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आगामी अध्यायों में वर्णित की जाएगी ।

3 प्राधिकरण का संविधान

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के एक अध्यक्ष हैं, जो एक प्रख्यात व्यक्ति जिसे जैव विविधता संपोषित करने का ज्ञान और अनुभव हो और भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी हों । इसके दस पदेन सदस्य हैं जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित हैं और पाँच गैर सरकारी सदस्य हैं जो जैव विविधता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ हैं ।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया है :-

अध्यक्ष:

क्र.सं.	नाम	से	तक
1.	श्री विश्वनाथ आनन्द*	01.10.2003	14.07.2004
2.	डॉ. एस. कन्नियन	20.05.2005	19.05.2008
3.	श्री जी.के. प्रसाद*	20.05.2008	30.09.2008
4.	श्री पी.आर. मोहन्ती*	01.10.2008	31.12.2008
5.	डॉ. पी.एल.गौतम	31.12.2008	अब तक

*अतिरिक्त कार्यभार

सदस्य:

धारा 8 की उपधारा (4) के उपबंध (ब) के अधीन पदेन सदस्यों की नियुक्ति की गई:-

1. भारत सरकार के अनुसूचित जाति मंत्रालय के संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष अधिकारी
2. वन और पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के अपर महानिदेशक (वन)
3. वन और पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव

धारा 8 की उपधारा (4) के उपबंध ए के अधीन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई है ।

1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष स्तर के अधिकारी ।
2. जैव विविधता विभाग, भारत सरकार में इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी ।
3. समुद्र विकास विभाग, भारत सरकार में इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी ।
4. कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार में इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी ।
5. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, भारत सरकार में इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी ।
6. विज्ञान तकनीकी विभाग, भारत सरकार में इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी ।
7. विज्ञान और आधोगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार में इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी ।

धारा 8 की उप धारा 4 के उपबंध द के अधीन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई ।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों का तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए निबंधन अधिसूचना की तारीख से लागू होगा । राज[1]त्र अधिसूचना सं. एस.ओ.497(ई) के अनुसार की ई दिनांक 1-10-2003 से 14.4.2004 और दिनांक 1.10.2006 यक 21-2-2007 तक निम्न पद रिक्त रहे । पाहले के और वर्तमान के गैर सरकारी सदस्य निम्न है :

क्र.सं.	नाम	से	तक
1.	प्रो.एल. कण्णननिदेशक* (अनुसंधान) अण्णामलै विश्वविद्यालय, चिदंबरम, तमिलनाडु	15.04.2004	30.09.2006
2.	डॉ. पी. पुष्पांगदन* निदेशक, राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	15.04.2004	30.09.2006
3.	प्रो. राघवेन्द्र गडगकर पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू - 560 012	15.04.2004 22.02.2007	30.09.2006 21.02.2010
4.	प्रो. अनिल गताभारतीय प्रबंधन संस्थान (भा.प्र.से.) वस्त्रपुर, अहमदाबाद	15.04.2004 22.02.2007	30.09.2006 21.02.2010
5.	डॉ. ए.के. घोषनिदेशक, पर्यावरण व विकास केंद्र, जोधपुर पार्क, कोलकाता	15.04.2004 22.02.2007	30.09.2006 21.02.2010
6.	डॉ. एस. सुब्रमणियम, पालवाक्कम, चेन्नै - 600 041	22.02.2007	21.02.2010
7.	प्रो. के. कदिरेशन, समुद्रीय जीव विज्ञान उच्च अध्ययन केंद्र अण्णमलै विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	22.02.2007	21.02.2010

* अवधि समाप्त

साचिव:

1.	डॉ. के. वेंकटरामन *	24.07.2003	11.03.2009
2.	श्री सी. ए. रेड्डी	12.03.2009	Till date

* अतिरिक्त कार्यभार

4 प्राधिकरण की बैठकें

वर्ष 2008-2009 के दौरान प्राधिकरण की तीन बैठकें आयेजित की गई जिनमें निम्न लिखित निर्णय लिए गए :-

प्राधिकरण की एकादश बैठक

प्राधिकरण की एकादश बैठक दिनांक 6 मई 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । जिसमें इनके लिए अनुमोदन दिए गए (1) सचिव, तकनीकी अधिकारी (बौ.स.अ.) और आशुलिपिक के पदों को प्रतिनियुक्ति /आम्मेलन के आधार पर भरना (2) हितलाभ की सहभागिता का निर्धारण करने के लिए विशेषज्ञ समिति में दो अतिरिक्त सदस्यों के लिए (3) सामान्य व्यापार पण्यों की विशेषज्ञ समिति के कार्यवृत्त के मसौदे और (4) मृदा, तलछट और सूक्ष्म जैविक विविधता पर विशेषज्ञ समिति का गठन: (i) परंरागत और जनजातीय ज्ञान (ii) मृदा तलघट एवं सूक्ष्म जैविक विविधता (iii) औषधीय पौधों (iv) बौद्धिक संपदा अधिकारों (v) जैव विविधता के धरोहर स्थलों को उनके कार्य और काम को देखते हुए और 90 दिन के लिए विस्तार किया गया ।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई निम्नलिखित बैठकों पर भी विचार-विमर्श के दौरान निर्णय लिए गए:

- दिनांक 05.04.2008 को सेंटेनरी रोज पार्क बागवानी अनुसंधान केंद, त.कृ. विश्वविद्यालय ऊटी में धरोहर स्थलों की स्थापना पर मार्गदर्शिका तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक की गई ।
- दिनांक 08.04.2008 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नै के सम्मेलन कक्ष में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अभिवृद्धि, पेटेंट, अनुसंधानों के परिणामों के हस्तांतरण और माल हस्तांतरण के आवेदन पत्रों के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समिति की सप्तम बैठक की गई।

- दिनांक 24.4.2008 को होटल सेल्टर चेन्नै में मृदा, तहछट और सूक्ष्म जैविक विविधता पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई।
- दिनांक 28-29 अप्रैल 2008 को राज्य जैव विविधता बोर्डों की तीसरी पुनरीक्षण और पारस्परिक बैठक आयोजित की गई ।

प्राधिकरण की बारहवीं बैठक

दिनांक 7-8-2008 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैव विविधता की बारहवीं बैठक आयोजित की गई । विशेषज्ञ समितियों

की सिफारिशों के लिए निम्न पर अनुमोदन दिया गया : (i) जैव संसाधनों की अभिवृद्धि, अनुसंधान परिणामों का हस्तांतरण बौद्धिक संपदा अधिकार और अन्य व्यक्ति हस्तांतरण पर प्राप्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन, (ii) वाणिज्यिक प्रयोग के लिए अभिवृद्धि पर हितलाभ सहभागिता का निर्धारण, अनुसंधान के परिणामों का हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा अधिकार और अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण के आवेदन पत्र इत्यादि पर विशेषज्ञ समिति और (iii) मृदा तहछट और सूक्ष्म जैविक विविधता पर विशेषज्ञ समिति।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई निम्न लिखित बैठकों पर भी विचार-विमर्श के दौरान निर्णय लिए गए :

- दिनांक 16.07.2008 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण सम्मेलन कक्ष, चेन्नै में अभिवृद्धि, अनुसंधान परिणामों का हस्तांतरण, पेटेंट मांगना और सामग्री हस्तांतरण पर विशेषज्ञ समिति की आठवीं बैठक आयोजित की गई ।

- दिनांक 21.07.2008 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा मृदा, तहछट आरै सूक्ष्म जैविक विविधता पर विशेषज्ञ समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई।

प्राधिकरण की तेरहवीं बैठक

दिनांक 28.01.2009 को वन और पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली में प्राधिकरण की तेरहवीं बैठक आयोजित की गई: (i) संकटापन्न क्षेत्र सूचित करने के नियम बनाने के लिए अनुमोदन दिए गए, (ii) सचिव की शक्तियों का प्रत्यायोजन (iii) जैव विविधता

निधि के आवेदन के लिए मार्गदर्शिका बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण विशेषज्ञता की आवयकता के अनुसार किसी भी सदस्यों को विभिन्न विशेषज्ञ समितियों में शामिल कर सकता है और जैव विविधता के धरोहर स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नियम बनाने के लिए अध्यक्ष जैव विविधता प्राधिकरण एक समिति का गठन कर सकता है। इसके अतिरिक्त निम्न मदों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए :

- "भारत के समुद्रीय और तटीय क्षेत्रों में जाति जैव विविधता पंजीयन पर क्षमता बनाने" के डॉ. कदिरेसन के प्रस्ताव को सिद्धांतत: मान लिया गया ।
- डेटाबेस भारतीय जैव विविधता सूचना प्रणाली (भा.जै.सू.प्र.)
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कर्मचारियों और अधिकारियों को छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन, समितियों के सदस्यों और सलाहकारों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का अनुमोदन दिया ।
- जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 36(2) के अंतर्गत संकटापन्न क्षेत्र, प्राकृतिक आवास और जैविक संसाधनों के लिए राज्य सरकारों को निदेश देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन ।
- पशु चिकित्सा विभाग से प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए अभिवृद्धि,पेटेंट, अनुसंधान के परिणामों का हस्तांतरण और सामग्री हस्तांतरण के आवेदन-पत्रों का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समिति में डेयरी और मछली पालन का एक सदस्य शामिल करने का अनुमोदन दिया गया ।
- जैव संसाधनों की अभिवृद्धि के लिए नावोजिमस द्वारा करार के निलंबन का अनुमोदन ।
- टैक्सोनोमिक अनुसंधान के लिए अनुमोदन: हमारे वैज्ञानिकों द्वारा नई टेक्सा/ किस्मों की पहचान के महत्व पर विचार, सूक्ष्म जैव विविधता तकनीकी संस्थान / वि.औ.अ.प. का अनुमोदन किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित वैज्ञानिक/ संगठन / संस्थान अपने समझौते के ज्ञापन में स्पष्ट दर्शाएँ कि नामित भंडार में यदि अभिवृद्धि होती है तो उसका वाणिज्यिक प्रयोग कर सकता है उसी प्रकार जैव विविधता अधिनियम के अनुसार हितलाभ सहभागिता का प्रबंध किया जा सकता है ।
- वर्ष 2007-2008 के संशोधित लेखे और 2009-2010 के लिए वार्षिक योजना का अनुमोदन किया गया ।
- जैव विविधता अधिनियम लागू करने की राजपत्र अधिसूचना में संशोधन ।

5 विशेषज्ञ समितियाँ

जैव विविधता अधिनियम की धारा 13 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित समितियाँ गठित की गई हैं :-

1. जैव विविधता धरोहर स्थलों के संरक्षण और पबंधन के नियम तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति:

जैव विविधता धरोहर स्थलों की घोषण और प्रबंधन के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 चाहता है कि राज्य जैव विविधता बोर्ड मार्गदर्शिका और नियम बनाए । तदनुसार एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई और दिनांक 19.2.2009 को होने वाली बैठक में विशेषज्ञ समिति द्वारा आदर्श दिशा-निर्देश तैयार किए गए जो व्यापक रूप परिचालित और कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं । विभिन्न विशेषज्ञों/ अभिकरणों/ रा.जै.बोर्डों सें प्राप्त टिप्पाणियों पर विशेषज्ञ समिति की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा और सिफारिशें प्राधिकरण के विचार के लिए प्रस्तुत की जाएँगी ।

2. मृदा तलछट और सूक्ष्म जीव विविधता पर विशेषज्ञ समिति:

डॉ. भाग्यराज की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 24.04.2008, 21.07.2008 और 20-08-2008 को तीन बैठकें आयोजित की । गहन विचार विमर्श की प्रक्रिया और वेबसाइट पर अपलोड किए गए मसौदों के अनुसार दिशा-निर्देश विकसित किए गए। समिति द्वारा आदर्श दिशा-निर्देशों की सिफारिश के बाद प्राधिकरण ने अनुमोदित किए । इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य मृदा तलछट/जल/ पौधों के अन्य पक्ष को हस्तांतरण, जानवर, सूक्ष्म जीव और भारत में पाए जाने वाले आनंवांशिक संसाधनों / जैविक सर्वेक्षण और जैविक उपयोग की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना है । यदि यह हस्तांतरण भारत में किसी निजी व्यक्ति/ कंपनी / संगठन से बाहरी देश के किसी व्यक्ति / संगठन को है तो राष्ट्रीय जैव विविधता से पूर्व अनुमति के लिए भी ये दिशा-निर्देश उपयोगी होंगे ।

3. सामान्य व्यापारिक जिन्सों/पण्यों पर विशेषज्ञ समिति:

जैव विविधता अधिनियम की धारा 40 के अनुसार केंद्र सरकार जैव विविशता प्राधिकरण के साथ विचार विमर्श करके, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा कुछ जैविक संसाधनों को सामान्य व्यापार पण्य (सा.व्या.प.) के रूप में छूट दे सकती है । वन और पर्यावरण मंत्रालय की अगुवाई में, रा.जै.प्रा. ने इस विषय की प्रक्रिया में पहल की, तदनुसार सामान्य व्यापार पण्य पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया । समिति ने दिनांक 04.10.2006, 10.10.2007 और 15.03.2008 को तीन बैठकें आयोजित की । समिति ने अपनी दूसरी बैठक भारतीय मसाले अनुसंधान, मसाला बोर्ड, मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, तंबाकू बोर्ड, काजू और कोको विकास, निदेशालय कोचीन, काफी और रबर बोर्ड के सुझावों के अनुसार मुख्य जैव संसाधनों के प्रारंभ में अधिसूचित किया । इसके साथ ही समिति ने अखिल भारतीय औषधीय पादप और उत्पादन के द्वारा निर्यात संभाव्य (अनियमित) पृष्ठ संख्या 98, भारतीय आयात निर्यात बैंक" सामान्य व्यापार पण्य के रूप में अधिसूचना के लिए वाणिज्य मंत्रालय से विचार विमर्श करके अधिसूचना जारी की । तीसरी बैठक में सा.व्या.पण्य की अधिसूचना के लिए पहली सूची राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को संस्तुत एवं प्रस्तुत की । रा.जै.प्रा.

द्वारा ये सिफारिशें वन और पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्तुत की गई । वन और पर्यावरण मंत्रालय ने सा.व्या.प. की सूची निदेशक, भा.पा.स. को प्रमाणित वैज्ञानिक नाम देने के लिए प्रेषित की । राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को 1040 किस्मों की सूची का अंतिम रुप प्राप्त किया । इसकी दौरान निदेशक, समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण से (107 मछली उत्पादों की) सूची रा.जै. प्राधिकरण को प्राप्त हुई ।

वन और पर्यावरण मंत्रालय ने रा.जै.प्रा. द्वारा (1040 कि.) भेजी गई सामान्य व्यापार पण्यों की सूची को सम्मति के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (म.नि.वि.व्या.) को प्रेषित किया । महानिदेशक विदेश व्यापार निगम ने राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण से उनके द्वारा भेजी गई सूची का भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) का कोड उपलब्ध कराने को कहा और ऐसा ही म.नि.वि. व्यापार की वेबसाइट में सूचित की गई किस्मों के संबंध में कहा । तदनुसार दिनांक 29.01.2009 को वन और पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें आयुर्वेदिक औषधि निर्माता संघ (आ.औ.नि.स.) विदेश व्यापार महानिदेशालय क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परम्पारा पुनर्वास परिसंघ (क्षे.स्वा.प.पु.प.) भा.कृ.अ.प., वै. व औ.अ.प. जैसे विभाग / मंत्रालय और अभिकरणों आदि ने भाग लिया । विचार -विमर्श के बाद सा.व्या.प. के रूप में क्षे.स्वा. और परम्पारा पु.स. द्वारा प्रस्तुत (180 किस्मों) पादप किस्मों की एक सूची को अधिसूचित करने का निर्णय लिया । यह सहमति हुई कि सरकार द्वारा 46 औषधीय पौधों को जिनका उपभोग 100 मी.ट. से अधिक है उन्हें अधिसूचित करें । यह निर्णय लिया गया कि उत्पादित सब्जियों, फलों, खद्यान्न, मसालों और मिर्चों कों भी इस सूची में शामिल किया जाए । तदनुसार रा.जै.प्रा. ने विभिन्न स्रोतों से सूचनाएँ एकत्र करके सूची को अंतिम रूप दिया । यह भी माना गया कि जैव संसाधनों का सा.व्या पण्य के रूप में प्रयोग के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 और नियम 2004 के प्रावधान लागू होंगे । ये सिफारिशें प्राधिकरण के विचार विमर्श के लिए रखी गई ।

4. अभिवृद्धि, पेटेंट, अनुसंधान परिणामों का हस्तांतरण और जैव संसाधनों का अन्य पक्ष को हस्तांतरण के आवेदन पत्रों के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समिति:-

प्राधिकरण की सिफारिश और सहमति के लिए विभिन्न आवेदकों के निवेदन विशेषज्ञ समिति में रखे जाएँगे । इस विशेषज्ञ समिति की प्रक्रिया चालू रहेगी और इसका पुनर्गठन आवधिक आधार पर किया जाएगा । इस प्रकार विशेषज्ञ समिति की 11 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं ।

5. समान हितलाभ सहभागिता के निर्धारण पर विशेषज्ञ समिति:

विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त आवेदन पत्रों को विशेषज्ञ समिति सिफारिशें प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के सोच-विचार के लिए मामले दर मामले भेजती है । इस विशेषज्ञ समिति की प्रक्रिया चालू रहेगी और इसका भी पुनर्गठन आवधिक आवधिक आवधिक आधार पर किया जाएगा । इस प्रकार अब तक 6 बैठकें आयोजित की गई हैं ।

6. जैव विविधता अधिनियम **2002** के प्रवर्तन के लिए विनियम और अधिसूचनाएँ तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति:

समिति द्वारा तैयार अधिसूचना के मसौदे को प्राधिकरण द्वारा इसकी नवम बैठक में स्वीकार किया गया । विध और न्याय मंत्रालय से विधीक्षा करने के बाद सरकार द्वारा दिनांक17 नवंबर 2008 को एस.ओ.-2708(ई) के द्वारा अधिसूचित किया गया।

7. औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति:

औषधीय पौधों के संरक्षण के बारे में प्रारंभिक विचार-विमर्श समिति की पहली बैठक में किया गया । सलाहकारों की सेवाएँ लेने के लिए महत्वपूर्ण कागज तैयार किए जाएँ ।

8.खतरे में, संकटापन्न और स्थानिक भारी किस्मों पर विशेषज्ञ समिति:

खतरे में संकटापन्न और स्थानिकभारी पर विशेषज्ञ समिति के सलाहकार के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूर के डॉ. कार्तिक शंकर को विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का अनुमोदन प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक में दिया गया । तीन बैठकें संपन्न होने के बाद प्राधिकरण के विचार-विमर्श क लिए विशेषज्ञ समिति ने सिफारिशें तैयार की । विशेषज्ञ समिति की स्फिारिशों को प्राधिकरण ने अपनी नवम बैठक में अनुमोदित किया । रा.जै.प्रा. ने ये सिफारिशें मंत्रालय को सूचित की । इन सिफ़ारिशों पर विचार करते हुए भारतीय पादप सर्वेक्षण और भारतीय जन्तु, सर्वेक्षण, और अन्य विशेषज्ञों की सम्मतिके बाद खतरे में पड़ी जानवरों और पौधों की किस्मों, उनके वितरण सहित राज्य वार सूची विभिन्न राज्यों को भेजी गई । उपर्युक्त सम्मतियों राज्य सरकारों के विचार के लिए भारत सरकार ने पौधे और जानवर जो विलोभन के कगार पर हैं और केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से एकत्र करने का नियत्रण या निषेधित हैं ऐसी किस्मों की सूची (अधिसूचना एस.ओ.783 (ई)) दिनांक 17 मार्च 2009 और एस.ओ. 997 (ई) दिनांक 15 अप्रैल 2009) के द्वारा अधिसूचित की ।

6 जैव विविधता का संपोषण और संरक्षण

निम्नलिखित वर्णित रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्राधिकरण ने जैव विविधता के संपोषण और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी प्रयास किए ।

1. संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ प्रशिक्षण इत्यादि आयोजित करने के लिए सहभागिता और सहयोग देना।

- दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2008 में गंगटोक सिक्किम भारत में "अभिवृद्धि और हितलाभ सहभागिता" पर योजना कार्यशाला की ।
- दिनांक 2 मई 2008 को पश्चिमी क्षेत्र के लिए "दलदली भूमि संरक्षण और प्रबंधन" विषय पर गीर फाउंडेशन गांधी नगर द्वारा एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया ।
- दिनांक 25 जुलाई, 2008 को वैश्विक जैव विविधता सूचना सुविधा (जै.वि.सू.सु.) के सहयोग से वै.औ.अ.प. नई दिल्ली में एक सलाहकार बैठक आयोजित की ।
- "अनुवांशिक संसाधनों की अभिवृद्धि की हितलाभ सहभागिता और सूक्ष्म जव जैव तकनीकी में प्रवृत्ति"पर दिनांक 27 अगस्त 2008 को जापान में जैव उधोग समिति टोकियो द्वारा जापान-भारत कार्यशाला आयोजित की ।
- दिनांक 31 अगस्त 2008 को मालदीव में दक्षिण एशिया मूँगा जल-शैल कार्य बल (द.ए.मू.ज.शै.का.ब.) समन्वय समिति की दूसरी बैठक आयोजित की ।
- दिनांक 5 से 7 नवंबर 2008 को अहमदाबाद, गुजरात में गीर फाउंडेशन और दक्षिण एशिया मूँगा जल-शैल कार्य बल और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समुद्रीय और तटवर्ती संरक्षण के क्षेत्र प्रबंधक विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
- दिनांक 3 नवम्बर 2008 को चंडीगढ़ में "दक्षिण एशिया क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा" विषय पर पंजाब राज्य विज्ञान और तकनीकी परिषद द्वारा एक अंतर्राज्यीय सम्मेलन किया गया ।
- दिनांक 19 व 20 मई 2008 को चेन्नै में जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता एवं कृषि जैव विविधता मेला आयोजित किया ।
- दिनांक 8 जनवरी 2009 को लोयला कालेज चेन्नै में "सेंसर में नूतन रूझान-पर्यावरण के प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए विकास"विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

- दिनांक 12 फरवरी 2009 को रा.प.आ. अनुसंधान करनाल में घरेलू पशुओं के संरक्षण के लिए समाज का राष्ट्रीय परिसंवाद किया गया ।

- दिनांक 12 फरवरी 2009 को पा.कि. व कृ.अ.स. नई दिल्ली द्वारा द्वितीय पादप जीनोम मुक्तिदाता समुदाय मान्यता और पादप किस्मों का पंजीकरण प्रमाणन किया गया ।

- दिनांक 1 फरवरी 2009 को भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में जैव विविधता अधिनियम का कार्यान्वयन और जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिकता, अभिवृद्धि के प्रयोग और हितलाभ सहभागिता पर एक कार्यशाला आयोजित की गई ।

- दिनांक 4 से 7 फरवरी 2009 को नई दिल्ली में "पादप अनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग में कृषि संरक्षण की पहल के लिए अवसरों को बध़ना" कृषि पर चतुर्थ विश्व कांग्रेस का सत्र चलाया गया ।

- अभिवृद्धि और मानव कल्याण पर विचार-विमर्श के लिए दिनांक 15 फरवरी 2009 नैरोबी में 2010 के बाद लक्ष्य पर्यावरण विधि और सम्मेलन मण्डल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

- दिनांक 22 फरवरी, 2009 को बंबई प्राकृतिक इतिहास समाज वेलीमैन इलम, कोडीकरै में "जैव विविधता के संरक्षण के भूत, वर्तमान और भविष्य के विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के संदर्भ में केलीमर बिन्दु" और जैव विविधता के संरक्षण में रा.जै.पा. की भूमिका पर एक चर्चा पार एक कार्यशाला आयोजित की ।

- दिनांक 2 मार्च 2009 को इसरो की अध्यक्षता में कृषकों की खुशहाली के लिए जैव उद्योगों के जल क्षेत्रों का विकास की चुनौतियाँ और अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन की संचालन समिति की बैठक की गई ।

- दिनांक 8 मार्च 2009 को केंद्रीय रेशम - उत्पादन जीवाणु संसाधन केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड होसुर तमिलनाडु में "रेशम जैव विविधता संरक्षण" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई ।

- दिनांक 17 से 20 मार्च 2009 को कियूडाड ऑबरेगन, मैक्सिको में गेहूँ को खराब होने के टिकाऊपन के लिए रणनीति विकसित करने के लिए बोरलॉग वैश्विक रस्ट रणनीति 2009 कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

- दिनांक 23 मार्च 2009 को वन और पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली में ए.वी.एस. कार्य समूह-7 के लिए अंतर-मंत्रालय सलाहकार की तैयारी के लिए एक बैठक आयोजित की गई ।

- दिनांक 7 जनवरी 2009 को नेही शिलाँग में "उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में क्षेत्रीय मामले" भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई ।

- दिनांक 8-9 जनवरी 2009 को पर्यावरण प्रबंधन विभाग, भारतीदासन विश्वविद्यालय त्रिचिरापल्ली द्वारा जैव विविधता प्रबंधन में उभरते मामलों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई ।

- दिनांक 3 फरवरी 2009 को कल्पवक्ष पर्यावरण एक्सन समूह और अंतर्राष्ट्रीय गै.स.स. ग्रेन नई दिल्ली द्वारा नीति वार्तालाप के लिए राष्ट्रीय फोरम की बैठक नेहरू स्मारक संग्रहालय में आयोजित की गई ।

- दिनांक 20-21 मार्च 2009 को राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में पंजीकरण मूल्यांकन, जलचर अनुवांशिक संसाधनों का अपने स्थान पर संरक्षण और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय सलाह-मशविरा किया गया ।

- दिनांक 2 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की संध्या पर वेल्स इंटरनेशनल विद्यालय चेन्नै में मूंगे और जल शैल से विशेष संबंधित भारत की जैव विविधता पर जागृति सृजन किया गया ।

2. प्रााधिकरण द्वारा इन्हें तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समितियाँ गठित की गई :

- जैव विविधता धरोहर स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नियम ।
- मृदा, तलछट और सूक्ष्म जीव विविधता की अभिवृद्धि के लिए मार्गदर्शिका।
- जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के लिए विनियम / अधिसूचना
- औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए मार्गदर्शिका
- खतरे में, संकटापन्न और स्थानिकमारी किस्मों के संरक्षण के लिए मार्गदर्शिका
- राष्ट्रीय नामित भंडारों के लिए मार्गदर्शिका

3. जागृति अभियान:

1. जैव विविधता अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में क्षमता निर्माण के लिए जागृति अभियान के लिए गुजरात, गोवा और कर्नाटक राज्य जैव विविधता बोर्डों के साथ पारस्पारिक बैठक की गई ।

2. आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड हैदराबाद द्वारा 2009 में जैव-साहित्य चोरी और बौद्धक संपदा अधिकार जैव विविधता के लिए क्षमता निर्माण की पहल पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई ।

3. पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास के लिए ट्रस्ट (ट्री) चेन्नै द्वारा 2009 में जैव विविधता के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत योजना बनाने के कार्रवाई के विद्यार्थियों को अधिकार देने के लिए एक सम्मेलन किया गया ।

4. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने दिनांक 19 मई 2008 को मैरिना बीच पर 'कृषि और जैव विविधता' विषय पर "जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस" मनाया । दिनांक 22-05-08 को जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता दिवस के परिपेक्ष में "जैव विविधता संरक्षण मेला" इस कड़कड़ाते विषय को ध्यान में रखते हुए जागृति अभियान में मेजबान की भूमिका निभाई । राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण ने भारतीय तट रक्षक, लोयला कालेज, प्रेसीडेंसी कालेज और क्वीन मेरी कालेज के सहयोग से इस अभियान का आरंभ कन्नगी मूर्ति के सामने प्रेसीडेंसी कालेज से किया । रा.जै.प्रा. की दूर-दृष्टि, जैव विविधता और मानव कल्याण, जैव विविधता संपोषण, जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य इत्यादि के संदेश के रंगीन बैनन और इश्तहार के साथ ऊंटों मानवों की श्रृंखला के बीच पर आने वाले सभी आगंतुक थे । इसी तरह इश्तहार प्रदर्शनी प्रतियोगिता प्रेसीडेंसी कालेज और जागृति मेले में की गई । इसका उदघाटन 19 मई को राज्य वन और मंत्रालय के माननीये मंत्री श्री एस.रघुपति ने किया । मद्रास क्रिश्चियन कालेज ने अपनी प्रदर्शनी "खाड़ी दर्शन" विषय पर लगाई । विभिन्न प्रकार की स्पंज, कठोर मूंगों का प्रदर्शन के परिरक्षण के नमूनों के साथ समुदीय जैव विविधता के अनेक सत्यों का वर्णन किया । विघार्थियों द्वारा भी समुद्रीय जैव विविधता पर आकर्षक इश्तहार लगाए गए । विभिन्न कालेजों ने भी जैव विविधता के विभिन्न मामलों को दर्शाया । जनता, खोजकर्ता, विद्यार्थी और अध्यापकों में जैव विविधता पर जागृति लाने और इसके महत्व को बताने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों ने भी अंतराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया । 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 'जैव विविधता विषय पर हिमाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड ने भी एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया । पश्चिम बंगाल राज्य जैव विविधता बोर्ड ने भी स्कूल के विघार्थियों में जागृति कार्यक्रम के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता, वक्तृत्वकला का आयोजन किया ।

4. कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता धरोहर स्थल अधिसूचित करना:

बेंगलूर जिले के देवनाहली तालुक के नल्लूर स्थान को इमली जैव विविधता स्थल के रूप में अधिसूचित किया । यह विश्वास किया जाता है कि यह स्थल 800 वर्ष पुराना चोल वंश का अवशेष है, जो देखने में विस्मयकारी और चकते दार स्थल है। जिसमें 300 पौधे लगे हैं जो पादप विविधत की गतिशील प्रणाली की तस्वीर है । पुराने पौधे नवनूतन पहरेदारी की तरह खड़े हैं उनके विशाल तने जमीन में धँसे हुए हैं और उनकी शाखाओं के रूप में बहुत ऊंचाई पर नयनाभिराम मुकुट की तरह लगाता है ।

5. पादप किस्में संरक्षण व कृषक अधिकार प्राधिकरण नई दिल्ली के सहयोग से कृषि जैव विविधता के उष्ण स्थलों की पहचान:

कार्य समूह और कार्य बल, पादप किस्में संरक्षण व कृषि अधिकार प्राधिकरण और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने शिलांग और अण्णामलै विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त स्फिारिशों के आधार पर एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जिसमें जैव विविधता के उष्ण स्थलों की पहचान की । सामूहिक विचार विमर्श और विचारों की समाभीरूपता के आधार पर भारत में कृषि जैव विविधता के सत्रह उष्ण स्थलों की पहचान की गई :

क्र.स.	जैव विविधता उष्ण स्थल क्षेत्र
1.	त्रावणकोर मालाबार क्षेत्र
2.	कोंकण तट
3.	काठियावाड़
4.	लीवर्ड का दक्षिणी पठार
5.	उत्तरी गुजरात/ मेवाड़
6.	शुष्क जोधपुर - बीकानेर पट्टी
7.	उत्तर पश्चिम शीतोष्ण हिमालय व ल-ाख
8.	सिक्किम की पहाड़ियाँ और अरूणाचल का हिमालय
9.	मेघालय की पहाड़ियां
10.	नागालैण्ड/ मणिपुर/ त्रिपुरा / मिजोरम
11.	आसाम का ब्रह्मपुत्र का भाग
12.	निम्न गंगा प्रणाली
13.	गंगा कामुआयना (मारसस और सुन्दरबन)
14.	त्रिवेणी
15.	कोरापुट क्षेत्र - बस्तर और उसके आसपास का इलाका
16.	कावेरी बेसिन
17.	अंडमान और लक्षद्वीप आइलैण्ड

Source: www.plantauthority.gov.in/

5. जैव विविधता अधिनियम 2002 का परवर्तन:

चेक गणराज्य के दो विदेशी नागरिकों को सिंगालिय राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल से कीटों को एकत्र करते हुए पाए गए । उनमें से सक मिस्टर स्वेचा का इस मामले में संलिप्तता होने के कारण 20000/- रूपए के दण्ड से दंडित किया गया। 10000 रूपये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और बाकी 10000 रूपए जैव विविधता अधिनियम के अधीन वसूल किए गए । यह भी उल्लेख किया गया कि उपयुक्त व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, इसलिए जुर्माने का भुगतान करने पर दोषमुक्त कर दिया गया । एक और चेक नागरिक मि.एमिल क्रुकेरा को इस मामले में संलिप्त पाया गया और सत्र न्यायाधीश न्यायालय में दोषी पाया । वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 3 वर्ष की सजा सुनाई गई । 60000 रूपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया । 10000 रूपए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन और 50000 रूपए का जुर्माना जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत किया गया । नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दोषी व्यक्ति किसी तरह देश से बाहर चले गए । उन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मदद के लिए अपीलीय प्राधिकरण से उन्हें पकड़ने की अपील करने की अनुमति माँगी । फिलहाल मुकदमा सत्र न्यायाधीश न्यायालय दार्जीलिंग में चल रहा है । वन विभाग ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की है । सुनवाई की अगली तारीख 1 अगस्त 2009 है ।

6. राज्य जैव विविधता बोर्डों की स्थापाना:

वर्ष 2008-2009 के दौरान त्रिपुरा और तमिलनाडु दो राज्यों ने मार्च 2008 तक राज्य जैव विविधता बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	अधिसूचना की संख्या व तारीख
1.	तमिलनाडु	G.O.(Ms) No.38 dt.29.04.08
2.	त्रिपुरा	F.8(31)/A/For-WL/98/part-11/ 7309-40 dt.16.06.08

7. जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन:

क्र.सं.	राज्य	गठित जै.प्र.सं.
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	गोवा	5
3.	हिमाचल प्रदेश	2
4.	कर्नाटक	1354
5.	केरल	5
6.	मध्य प्रदेश	सभी 48 जिलों की पंचायत नगर निगम नगर पालिका/ परिषद और ग्राम सभ
7.	पंजाब	31

8. जाति जैव विविधता पंजीयन की तैयारी :

क्र.सं.	राज्य का नाम	जाति जैव विविधता पंजीयन की संख्या
1.	कर्नाटक	69
2.	पश्चिम बंगाल	13
3.	मध्य प्रदेश	50
4.	आंध्र प्रदेश	5
5.	केरल	74
6.	उत्तराखंड	139
	कुल	**350**

7 अभिवृद्धि एवं हितलाभ भागीदारी

1.अनुमोदन प्रक्रिया

प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता अधिनियम की धारा 3,4,6 और जैव विविधता नियम 14 - 19 के अनुसार जैविक संसाधनों का भारत से बाहर अधिगमन का अनुमोदन दिया जाता है । जनता / निजी क्षेत्र और विदेशी राष्ट्रों से जैव संसाधनों और संबंधित परंपरागत ज्ञान का अधिगमन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का अनुमोदन निम्न दर्शित प्रक्रिया के अंतर्गत दिया जाता है ।

Schematic Presentation of Processing of Applications under Biological Diversity Act, 2002 and Rules 2004

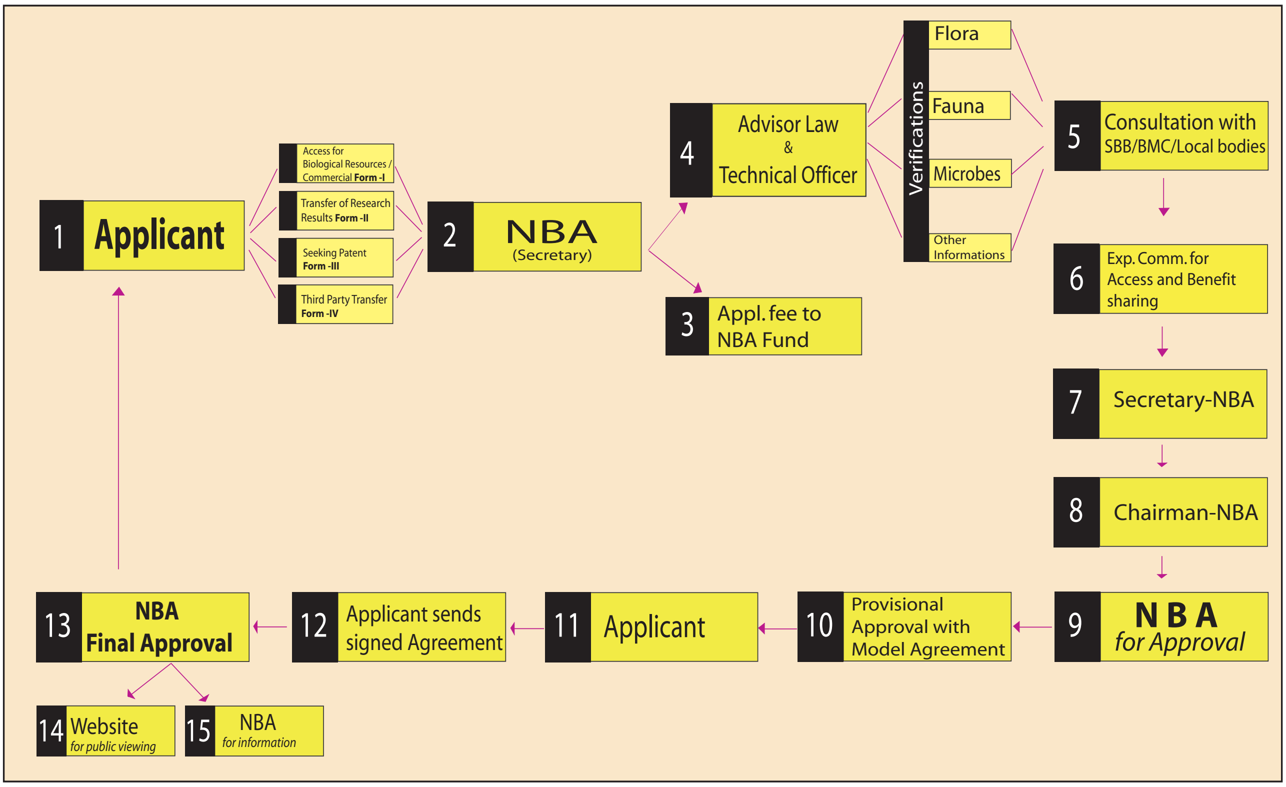

प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा निवेदन पर विचार किया जाएगा और मामले दर मामले उपर्युक्त समिति द्वारा सिफारिश के साथ प्राधिकरण की बैठक में अंतिम निर्णय के लिए विमर्शित किए जाएँगे । प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण अब तक निम्न प्रकार है :-

प्राप्तत आवेदन पत्र	-	420
अनंतिम अनुमोदन प्रदत्त	-	311
अनुमोदित / हस्ताक्षरित करार	-	72
निलंबित अंतिम अनुमोदन	-	239

(वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 205 आवेदन पत्र शामिल)

वापस लिए आवेदन पत्र	-	36

वर्ष 2008-2009 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण ने अपनी तीन बैठकों (11वीं से 13वीं प्राधिकरण) निम्न लिखित आवेदन पत्र अनुमोदित किए । नीचे दी गई रिपोर्ट के अनुसार 104 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 71 अनुमोदित किए । अनुमोदित आवेदन पत्रों में से 35 को अनुमोदन दिया गया और करार पर हस्ताक्षर किए । इकतीस आवेदन पत्र अंतिम अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है और दो आवेदन पत्रों पर प्रक्रिया बन्द कर दी है ।

2. रा.जै.बो. और जै.प्र.स. के साथ विचार-विमर्श

जैव विविधता प्राधिकरण के अधिनियम और नियमों के अनुसार अभिवृद्धि को अनुमोदन देने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं ।

जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 19 (3): उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्राप्त आवेदन पत्रों पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यदि आवश्यक समझे तो इस उद्-ेश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति से विचार विमर्श करके, आदेशानुसार इसके अधीन अनुमोदन दे सकता है, यदि निबंधन एवं शर्तें सही पाई जाए, इसमें रॉयल्टी पर प्रभार लगाना भी शामिल है, या लिखित में कारण देकर आवेदन पत्र को निरस्त भी कर सकता है ।

जैव विविधता नियम 2004: नियम 14, 17, 18, 19: प्राधिकरण क्षेत्रीय निकाय से विचार विमर्श कर सकता है और आवेदन और अन्य स्रोतों से ऐसी सूचना माँग सकता, यदि आवयक समझे तो फार्म I फार्म IV के मामले में 6 महीनों की अवधि के अन्दर और तीन महीने (फार्म II और III) के लिए आवेदन पत्र होने की तारीख से आवेदन पत्र को निपटा सकता है । जैविक संसाधनों की अभिवृद्धि और संबंधित ज्ञान के लिए प्राधिकरण आवेदन पत्र पर संतुष्ट होने पर अनुमोदन दे सकता है ।

जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना के परिणाम स्वरूप जैव विविधता अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के लिए राज्य जैव बोर्डों की स्थापना सहित राज्यों को जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन करना है । ये कोशिशें 21 राज्यों में रा.जै.बोर्ड और 8 राज्यों के कुछ जिलों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करके की गई । सरकारी औपचारिकता जैसे रा.जै.बो. के प्रचालन के नियमों की अधिसूचना विधान सभा द्वारा रा.जै.बो. और जै.प्र.सं. की स्थापना प्रक्रिया के अनुमोदन की सरकारी औपचारिकता पूरी करने में समय लगेगा, अधिनियम और नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दिशा-निर्देश और मॉडल करार के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है । इस प्रकार जैव विविधता नियमों

आवेदन पत्र की स्थान

विवरण	प्राप्त	अनुमोदित	प्रक्रिया अधीन	बन्द	हस्ताक्षरित करार
फार्म-I/ अनुसंधान/ वाणिज्य के लिए अभिवृद्धि	18	8	9	1	4
फार्म-II अनुसंधान परिणामों का हस्तांतरण	5	5	-	-	4
फार्म -III बौद्धिक संपदा अधिकार	48	29	18	1	21
फार्म-IV अन्य पक्ष हस्तांतरण	8	6	2	-	6
सहयोगी अनुसंधान	25	21	4	-	-
योग	**104**	**71**	**31**	**2**	**35**

में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नियत समय में आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए प्रस्तावों का परीक्षण और प्राधिकरण को मामले-दर-मामले सिफारिश करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विशेषज्ञ समितियाँ का गठन किया गया है । प्राधिकरण अपनी पूरी बैठक में विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश किए गए मामलों को निपटाता है । जैविक संसाधनों से बनाए गए उत्पादों के वाणिज्यकरण पर हितलाभ सहभागिता की गारंटी प्राधिकरण द्वारा करार हस्ताक्षरित होने के बाद अनुमोदन दिया जाता है । सरकार के संयुक्त अनुसंधान के लिए छूट, राष्ट्रीय नामित भण्डार के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद जैव विविधता अधिनियम का प्रवर्तन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है । अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण, सामान्य व्यापार पण्य, जैविक विविधता धरोहर स्थल, अभिवृद्धि और हितलाभ सहभागिता, जैविक संसाधनों पर बौद्धिक संपत्ति का अधिकार प्राप्त करना इत्यादि पर अधिसूचना जारी करना रिलीजेशन के विभिन्न स्तर है ।

सभी राज्यों में रा.जै.बोर्डों और कुछ जिलों में जै.प्र.समितियों की स्थापना की प्रक्रिया में प्राधिकरण को निर्णय लेने की सुविधा के लिए रा.जै.प्रा. अब पहल कर रहा है।

3. व्यक्तिगत सुनवाई

जैव अधिनियम की धारा 19 के अनुसार इस अवधि के दौरान चार आवेदकों ने अपने संबंध में सुनवाई चाही। ये पार्टियाँ क्रमश: सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, इंस्टरनेशनल फ्लेवर व फैग्रेंसी इंडिया लिमिटेड (आई एफ.एफ.) की सुनवाई 27 अप्रैल 2009 को हुई । अन्य पार्टियों के लिए सुनवाई अर्थात हिन्दुस्तान युनीलेवर लिमिटेड और मैसर्ज आर. के. दीवान एंड के अनुपस्थित रहने के कारण नहीं हो सकी ।

4. बौद्धिक सपदा के अधिकार के संबंध में उठाए गए उपाय:

जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 18.4 के अनुसार विधि कक्ष स्थापित करने के लिए पहल करनी है जिससे भारत से बाहर कोई देश भारत से कोई जैविक संसाधन प्राप्त करने या उस जैविक संसाधन के बारे में भारत से कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए बौद्धिक संपदा का विरोध के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके । परंपरागत ज्ञान और जैव संसाधनों पर बौ.स.अ. का संरक्षण में रा.जै.प्रा. सहयोग करेगा और भाग लेगा ।

i. दिनांक 23 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र, बेंगलूर में "भारतीय परंपरागत ज्ञान-मामले, संरक्षण और नए निर्देश" विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया ।

ii. दिनांक 26 फरवरी 2009 को कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड बेंगलूर द्वारा क्षेत्रीय परंपरागत ज्ञान और जैव विविधता पर एक कार्यशाला आयोजित की गई ।

iii. दिनांक 30 व 31 जनवरी 2009 को बायोतकनीकी और अन्न सुरक्षा फोरम, बेंगलूर द्वारा बौ.स.अ. और परंपरागत ज्ञान पर प्रथम राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया ।

8 विनिमय एवं अधिसूचनाएँ

1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य

एस.ओ.1147(ई) जैव विविधता अधिनियम 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उपधारा (1) व (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्तूबर 2003 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना उक्त अधिनियम के उ-देश्य की पूर्ति हेतु की गई । दिनांक 1 अक्तूबर 2003 [(एफ. सं.J-22018/46/2003-CSC (BC)] देश दीप वर्मा, संयुक्त सचिव] को धारा 8 की उप धारा (4) के उपबंध (अ) के अधीन सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की गई ।

2. राष्ट्रीय भंडारों का स्पष्ट उल्लेख

एस.ओ. 1911 (ई)- जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 की उप धारा के अधीन शक्तियों के अनुपालन में दिनांक 8 नवमब्र 2006 की अधिसूचना की धारा 6 और 12 के साथ मिलकर और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार निम्नलिखित संस्थानों को विभिन्न श्रेणी के जैविक संसाधनों के लिए अधिनियम के तहत भण्डार नामित करती है । [संयुक्त सचिव ए.के.गोयल द्वारा हस्ताक्षरित, एफ़.सं.26-19/2007- CSC]

3. जैव विविधता अधिनियम, **2002** के कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन अधिकारी प्राधिकृत करना

जैव विविधता अधिनियम 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खण्ड (ए.) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2 के अनुसार अधिनियम क तहत दण्डनीय जुर्म के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए संदर्भित सारणी के कॉलम (3) में वर्णित क्षेत्राधिकार के अनुसार दर्ज कर सकता है । परिस्थितियों के अनुसार केंद्र सरकार की राय में यदि यह विधि प्रक्रिया लोक हित में आवश्यक है तो उक्त धारा के अधीन कार्रवाई की जा सकती है या प्रति संहरण कर सकती है । [ए.के. गोयल संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एफ.एन.-28-4/2008-CSC- III(एन.बी.ए.)]

4. जैव विविधता अधिनियम **2002** के कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन अधिकारी प्राधिकृत करना

जैव विविधता अधिनियम 2002 (2003 की धारा 18) की धारा 61 के खण्ड (ए) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17 नवम्बर 2008 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.2708 (ई) के द्वारा केंद्र सरकार फिर संसोधन करती है । [ए.के. गोयल संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एफ.एन.-28-14/2008 सी.एस.-III]

5. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य:

जैव विविधता अधिनियम 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उप धारा (1) व (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ के अनुपालन में केंद्रीय सरकार दिनांक 1 अक्तूबर 2003 को उक्त अधिनियम की पूर्ति हेतु करती है जिसे राष्ट्रीय जैव विवधता प्राधिकरण नाम से पुकारा जाएगा । [श्री जी. बालचन्द्रन संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एफ.एन.-J- 22018/46/2003-CSC(BC)]

6. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति:

दिनांक 21-27 मार्च 2009 को नई दिल्ली, भारत के साप्ताहिक राजपत्र के भाग 1,खण्ड 2 संख्या 12 पृष्ठ संख्या 291 - राष्टपति के प्रसाद से श्री पी.एल.गौतम को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नै का दिनांक 31 दिसम्बर 2008 से 31 दिसंबर 2011 या अगले आदेश जो भी पहले आए के अनुसार 26,000/-(नियम पूर्व निर्धारित) वेतन मान में अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है । [सुजाता अरोड़ा अपर निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एफ.एन.- J-22018/12/2003-CS- III]

7. निम्नलिखित राज्यों ने राज्य जैव विविधता बोर्ड के नियमों को अधिसूचित किया है

निम्नलिखित राज्यों ने जैव विविधता बोर्डों के नियमों को अधिसूचित किया है:

क्र.सं.	राज्य	दिनांक	आधिसूचना
1.	कर्नाटक	03.05.06	FEE 151 ENV 2005
2.	मध्य प्रदेश	17.12.04	F-1-2-2002-L VII
3.	मणिपुर	05.03.09	428
4.	सिक्किम	14.09.06	504/F
5.	पश्चिम बंगाल	27.01.06	No.EN/136/T-II-7/ 005/04
6.	त्रिपुरा	16.06.08	F.8(31)A/for-WL/98/ Part-II/6919-7308
7.	महाराष्ट्र	10.12.08	No.WLP.1004/ C.R.226/F-1

8. राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन:

क्र.सं.	राज्य	आधिसूचना
1.	तमिलनाडु	G.O. (Ms) No.38 dt.29.04.08
2.	त्रिपुरा	F.8(31)/A/For-WI/98/part-II/ 7309-40 dt.16.06.2008

Gulf of Mannar Island

9 प्राधिकरण का वित्त एवं लेखा विवरण

31 मार्च 2009 को समप्त वित्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

Receipts	Current Year 2008-09	Previous Year 2007-08
I. Opening Balances		
(a) Cash in hand	3,000	3,000
(b) Bank Balances		
(i) Current A/c	27,84,306	6,31,038
(ii) In deposit A/c	7,50,000	
(iii) Savings A/c		
II. Grants Received		
a) From Govt.of India	2,86,09,000	2,12,61,000
b) From State Govt.	-----	-----
c) From other Sources	19,875	2,80,450
III. Income and Investments from		
a) Earmarked / Endow. Funds	-----	-----
b) Own Funds (Other Investment)		
IV. Interest Received		
a) On Bank deposits	65,811	-----
b) Loans, Advances etc.		
V. Other income		
Fees	2,05,252	4,40,896
Royalty	7,79,624	-----
VI.Amount Borrowed	-----	-----
VII. Any other receipts		
Sale of newspaper	590	-----
Recovery for books	800	-----
Transfer from NBA Authority A/c to NBA Fund A/c	20,00,000	-----
Encashment fo Fixed Deposit	-----	-----
Total	**3,52,18,258**	**2,26,16,384**

Payments	Current Year 2008-09	Previous Year 2007-08
I. Expenses		
a) Establishment Expenses	38,36,868	26,80,320
b) Administrative Expenses	97,65,734	62,64,169
II. Payment made against funds for various projects	41,76,325	36,71,996
III. Investments and deposits made		
a) Out of Earmarked / Endowment funds		
b) Out of Own Funds (Deposit to BSNL)	7500	1000
IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
a) Purchase of Fixed Assets	6,45,794	9,61,593
b) Advance paid for purchase of car	4,60,596	-----
a) Expend. on Capital Work-in progress	-----	-----
V. Refund of surplus money / Loans		
a) To the Govt.of India		
b) To the State Govt.	-----	-----
c) To other providers of funds		
VI. Finance Charges (Interest)	9,212	-----
VII. Other Payments (Grants to State Biodiversity Boards)	94,00,000	55,00,000
VIII. Closing Balances		
a) Cash in hand	3,000	3,000
b) Bank Balances		
(i) Current A/c	50,88,229	27,84,306
(ii) In deposit A/c	18,25,000	7,50,000
(iii) Savings A/c		
Total	**3,52,18,258**	**2,26,16,384**

10 वार्षिक योजना 2009-2010

भौतिक लक्ष्य:-

- वर्ष में चार बैठकें की गई और बैठक में किएगए निर्णयों का कार्यान्वयन किया गया ।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मार्गदर्शन और सहयोग के अंतर्गत अन्य राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्डों कीं स्थापना में सहायता और समर्थन और संघ शासित क्षेत्रों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन में सहयोग और समर्थन देना ।
- भारत के विभिन्न राज्यों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन में सहयोग और समर्थन देना ।
- राज्य जैव विविधता बोर्डों और संबंधित विभाग, अनुसंधान संगठन, गै.स.सं. इत्यादि को कार्यशालाएँ आयोजन, जागृति सृजन इत्यादि के लिए संभावित परिणामों की प्रप्ति के लिए निधि मुहैया करके सहयोग और समर्थन देना ।
- विभिन्न परिस्थिति में जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन पर मीडिया समूह, साहित्यिक विकास, काम्पेक्ट डिस्क, वृत्त चित्र इत्यादि के माध्यम से जाकृति निर्मित करना ।
- सम्मेलन, कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण, जागृति शिविरों, प्रदर्शनियों का आयोजन और सहयोग देना ।
- जाति जैव विविधता पंजीयन का कार्यान्वयन और नियमों का प्रतिपादन करना ।
- चेन्नै में सांस्थानिक क्षेत्र का कार्यालय और दिल्ली में संपर्क कार्यालय की स्थापना करना ।
- रा.जै.प्रा. के लिए भूमि का अधिक्रहण और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्रवाई की पहल करना ।
- आंतरिक और बाह्य वित्तीय सहायता के द्वारा जैव विविधता अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों और राज्य जेव विविधता बोर्डों कीं सहयोग करना ।

गतिविधियाँ / संघटक

➢ जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 12 और नियम 10 के अनुसार पाधिकरण को एक वर्ष में तीन महीने के अंतराल के बाद चार बैठकें आयोजित करनी है । यह प्रस्ताव रखा गया कि वर्ष 2009-2010 में अधिनियम

से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने और विचार-विमर्श करने के लिए चार बैठकें करनी है ।

- अधिनियम के अंतर्गत राज्य जेव विविधता बोर्ड का गठन करनेके लिए राज्य जैव विविधता प्राधिकरण को लगातार प्रयास करना है । इसलिए 21 राज्यों ने राज्य जैव विविधता बोर्डों के गठन को अधिसूचित किया है । अन्य राज्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड बनाने के लिए मना लिए गए हैं । राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड एक मुश्त निधि देकर राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना में सहयोग दे रहा है ।

- राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा कम से कम जिला स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थापना की जानी है ।

- जैव विविधता से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान का दस्तावेज बनाने के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा जाति जैव विविधता पंजीयन का कार्यान्वयन किया जाए ।

- जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्थलों को जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में अधिसूचित कराने के लिए राज्य सरकारों को मनाना ।

- विनयम के प्रवर्तन अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण, सामान्य व्यापार पण्य, सूक्ष्म जैविक संसाधन और करार मंत्रालय को जाँच के लिए भेजे जाएँगे और तदुपरांत सरकार राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा दिशा-निर्देश तैयार किए जाएँगे ।

- विभिन्न परिस्थितियों में जैव विविधता के संबंध में लोगों में जागृति लाने के लिए साहित्य के माध्यम से, काम्पेक्ट डिस्क, वृत्त चित्र और प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन करना।

- निम्न पर दिशा-निदेर्श तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन: (i) औषधीय पौधे (ii) बौद्धिक संपदा अधिकार और (iii) परंपरागत और जनजातीय ज्ञान को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें आयोजित करना और विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त करके सहयोग देना ।

Vennar River, Tamil Nadu

11 राज्य जैव विविधता बोर्डों के कार्यक्रम एवं क्रियाकलाप

1. अधिसूचित राज्य जैव विविधता बोर्ड

निम्नांकित राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थापित किए गए हैं - कर्नाटक , गोवा, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मणिपुर, सिक्किम, गुजरात, उत्तरांचल, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश हरियाणा, तमिलनाडु, झारखंड एवं त्रिपुरा जैव विविधता अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण पहल कर रही है । भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2002 से जैव विविधता परिषद को गठित करके जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा अनुवांशिक एवं कार्यान्वित कर रही है ।

2. रा.जै.वि. बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करना

राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की प्रथम बौठक में लिए गए निर्णय के आधार पर यह प्राधिकरण एक बार सहायता अनुदान 10 लाख रूप देती है (50,000 रू. की दो किस्तों में स्थापना हेतु एवं राज्य जैव विविधता बोर्ड के निर्माण हेतु) एक बार अनुदान 5 लाख रुपए की प्रथम किस्त का भुगतान छत्तीसगढ़ गुजरात हरियाणा, सिक्किम, झारखंड एवं त्रिपुरा राज्यों को किया गया है । (1) कर्नाटक (2) मध्य प्रदेश, (3) पंजाब (4) गोवा /(5) पश्चिम बंगाल (6) नागालैंड (7) केरल (8) हिमाचल प्रदेश (9) उत्तर प्रदेश (10) अरूणाचल प्रदेश (11) उत्तरांचल (12) आंध्र प्रदेश एवं (13) मिजोरम राज्यों ने एक बार अनुदान दूसरी किस्त प्राप्त की ।

3. जैव विविधता बोर्डों के क्रियाकलााप

3.1 पंजाब जैव विविधता बोर्ड

पंजाब राज्य परिषद की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया (पी.एस.सी.ए.एस.टी.) । 22 मई 2008 को पुष्पा गुजराल विज्ञान सिटी, कपूरथला में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया इस अवसर पर जैव विविधता पर प्रश्नोतरी, व्याख्यान, पोस्टरों एवं बैनरों को प्रदर्शित किया गया, सूचनापरक ब्रोचर / पम्पलेटों का छात्रों में एवं सामान्य आगंतुकों में वितरित किया गया । विज्ञान सिटी में जैव विविधता का महत्व एवं उसका संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए जागरूकता लाई गई । इन गतिविधियों के लिए पंजाब जैव विविधता बोर्ड निधि प्रदान की ।

जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) एवं गैर सरकारी संगठनों सहित गतिविधियाँ: पंजाब जैव विविधता बोर्ड ने पी.एस.सी.ए.एस.टी के 31 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन गुरदासपुर एवं होशियारपुर जिले में वन विभाग शिक्षा विभाग एवं स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के अधीन यूनेस्को द्वारा प्रायोजित परियोजना जैसे - जैव विविधता संरक्षण द्वारा पर्यावरणीय संपोषणता उन्नत हेतु क्षमता निर्माण बोर्ड ने निम्नांकित गतिविधियाँ चलाई:-

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान :- जैव विविधता संरक्षण पर पठानकोट में एक कार्यशाला सह प्रदर्शनी आयोजित की गई । जैव विविधता के अंतर्गत मेमून, दुरंग खेड़, काकरूही, गार्ल, चाटवाल, ध्रे कलन देहात से किसान एवं सरकारी शिक्षक, 22 मई 2008 को छटवाल अस्पताल, 80 व्यक्तियों से ज्यादा उसमें बी.एम.सी. सदस्य सम्मिलित, वन प्रबंधन समिति, स्वयं सहायता समूह, इन क्रियाकलाप शिक्षक एवं किसान भाग लिए थे । हमारे जीवन में जैव विविधता का भूमिका पर विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए । हमारे भविष्य की सुरक्षा नामक एक फिल्म जैव विविधता संरक्षण पर पंजाब जैव विविधता बोर्ड एवं पंजाब स्टेट परिषद हेतु विज्ञान एवं प्राद्योगिकी ने तैयार की और प्रदर्शित की गई । इस अवसर पर वन विभाग एवं वन्य जीव के कर्मचारी भी सक्रिय रूप से भाग लिए । वन रेंज अधिकारी, पठानकोट ने जैव विविधता संरक्षण के महत्व पर विशेष व्याख्यान दिया ।

बी.एम.सी. सदस्यों द्वारा एवं स्वयं सहायता समूह काकरोई ध्रे ब्लाक देहात पठानकोट द्वारा विभिन्न औषधियें से तैयार उत्पाद एवं अन्य पौधों पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई ।

होशियारपुर जिले के भाम्बातूर गाँव में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम युथ-सर्विस क्लब, होशियापुर द्वारा आयोजित करके अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया । जैव विविधता संरक्षण पर एक विशेष व्याख्यान दिया गया एवं श्री देवेन्द्र सिंह, मास्टर ट्रेनर, एन.जी.सी. द्वारा कृषि जैव विविधता के महत्व पर भाषण दिया ।

देहाती स्तर पर जागरूकता लाने हेतु संबंधित देहातों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । और जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसमें बी.एम.सी. का बिकोचेक, भावना, मीरबेह, स्वाह, धागवाल, बेह, रहेरूपट्टी, एवं बहलंदर जो होशियारपुर जिले में आते हैं । ''हमारे भविष्य की सुरक्षा'' नामक एक पंजाबी भाषा की फिल्म पंजाब जैव विविधता बोर्ड एवं पी.एस.सी.एस.टी. द्वारा तैयार करके सभी देहातों में प्रदर्शित की गई । उपरोक्त कार्यकलापों के लिए पंजाब जैव विविधता बोर्ड ने निधि प्रदान की ।

पीपल फोरम, बरगरी फरीदकोट जिले ने जैव विविधता जागरूकता यात्रा का आयोजन किया गया । जिसमें 40 ग्रामीण छात्रा जो सामाजिक-आर्थिक पिछड़े वर्ग के एवं 11 स्कूलों से 28 शिक्षक एवं 4 इको-क्लब फरीदकोट जिले से जैविक जागरूकता लाने के लिए राज्य में महत्वपूर्ण स्थान एवं संरक्षण की दृष्टि से महत्व इस प्रकार है :-

(1) छटबीर पार्क पटियाला - Ex - situ - संरक्षण क्षेत्र दि.01.06.2008

(2) सुखाना सरोवर चंडीगढ़ - In - situ - संरक्षण दि. 01.06.2008

(3) रोपड़ दलदल भूमि, रोपड़ - In - Situ - संरक्षण दि. 01.06.2008

जैव विविधता के विभिन्न घटक छात्रों ने एवं शिक्षकों ने प्रस्तुत किए । प्रख्यात व्यक्तियों के विशेष व्याख्यानों द्वारा जिसमें पक्षियों का निरीक्षण सम्मिलित है ।

विद्यालय आधारित कार्यक्रम:-

पंजाब राज्य परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं राज्य के 80 प्रशिक्षित शिक्षक इस दिन को मनाए । इस कार्यक्रम में एन.जी.सी. के अधीन स्कूलों को कवर किया जाए । 15 जिलों से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की ।

पंजाब के आर्थिक महत्व के फ्लोरा एवं फौना पर अध्ययन:-

पंजाब राज्य परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (पी.एस.सी.एस.टी.) द्वारा पंजाब के शिवालिक क्षेत्र का एक सर्वेक्षण किया जिसमें दर्शाया है कि अनेक विभिन्न समुदायों पर आश्रित उनके जीवन पर स्थानीय जैव का स्रोत । फ्लोरा और फौना के वाणिज्यिक महत्व पर अध्ययन किया गया जिसमें पंजाब सरकार द्वारा निधि प्रदान की जो जैव विविधता पर उपलब्ध डाटा इकट्ठा उद्योग विभाग सहित राज्य में उद्योग आधारित एवं सांस्कृतिक विभाग हेतु जैव विविधता आधारित जीवों को पहचानना एवं उनका संरक्षण को उन्नत करना एवं जीवितो योग्य बनाना । प्रारंभिक अध्ययन पूर्ण हो चुका है एवं रिपोर्ट तैयार की जा रही है । इस बीच राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने भी परियोजना हेतु स्वीकृति दी है । पंजाब में जैव विविधता का शोषण में उद्योगों का हस्तक्षेप सम्मिलित हैं जिसकी विस्तृत जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

''जलवायु परिवर्तन, दक्षिण एशिया क्षेत्रों, जैव विविधता एवं अनाज सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन''

जलवायु परिवर्तन, दक्षिण एशिया क्षेत्र में जैव विविधता एवं अनाज सुरक्षा पर बोर्ड सक्रिय प से भाग लेकर पंजाब राज्य परिषद सहित विज्ञान एवं पौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया । 3 एवं 4 नवंबर 2008 को युनाईटेड राष्ट्रीय शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया । 150 से ज्यादा वैज्ञानिकों - जैसे बांग्लादेश, फ्रांस,

जर्मनी, भारत, पाकिस्तान एवं श्रीलंका ने सम्मेलन में भाग लिया और जैव विविधता एवं अनाज सुरक्षा के मामले पर विभिन्न भाषण दिए गए ।

3.2 मणिपुर जैव विविधता बोर्ड

जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना

28 मई 2008 को जैव विविधता बोर्ड ने (आई.डी.बी.) अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जिसका विषय था "जैव विविधता एवं कृषि" । इस अवसर पार बोर्ड द्वारा निम्नांकित गतिविधियाँ चलाई गई:-

(1) चार घाटी जिलों में लोगों को संवेदनशील बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के महत्व पर दूरदर्शन पर चर्चा हेतु एक पैनल बनाया ।

(2) जैव विविधता एवं कृषि विषय को मणिपुरी भाषा में तैयार करके जिसका प्रसार आकशवाणी इंफाल द्वारा किया गया जिसके केंद्र बिंदु थे - 'किसान'

(3) सामान्य जागरूकता हेतु "जैव विविधता" पर बाला प्रसाद, मुख्य वन संरक्षक के साथ एक साक्षात्कार लिया गया जिसका प्रसारण आकाशवाणी कें इंफाल से इंग्लीश में किया गया ।

(4) 21वीं सदी में जैव विविधता संरक्षण एवं जीवितो योग्य कृषि एक विस्तृत लेख डॉ देबानंद एस. निंगदाव जाम, विभागाध्यक्ष, जैव विविधता विभाग, माणिपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 22.5.2008 को सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में इंग्लीश भाषा में एवं क्षेत्रीय भाषा मणिपुरी में जूलॉजीकल गार्डन (Zoological Garden) नामक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है ।

(5) माणिपुर के चिड़ियाघर (Zoological Garden) जैव विविधता की संवेदनशीलता संबंध में विशेषकर फौनाल जीव जन्तु की जैव विविधता की अवस्था दिखाने हेतु मणिपुरी स्कूली छात्रों को आमंत्रित करके उन्हें मुफ्त में पास प्रदान की गई।

जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए इलेक्ट्रानिक मास मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के ज्यादा प्रयोग करने के कारण मणिपुर के लोगों द्वारा इसकी बहुत सराहना की गई । किसानों में, बच्चों में योजना बनाने वालों में, अभिप्राय देनेवालों आदि में जैव विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत दूर तक जाना है ।

आगे, कृषि फसलों की संरक्षण हेतु स्थानीय विभिन्न फसलों के बारे में जागरूकता पैदा की । अनाज सुरक्षा पर जैव विविधता का जीवितो उपयोग एवं संरक्षण, पौष्टिक एवं मानव कल्याण एवं जैव विविधता का कृषि महत्व उसमें जागरूकता पैदा करना ही जैविक विविधता दिवस मनाने का मुख्य संदेश था । 21वीं सदी में जीवित कृषि एवं जैविक संरक्षण एक विस्तृत लेख महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया और दो रेडियो वार्ता प्रसारित की गई और दूरदर्शन मुख्य पैनल वार्तालाप से राज्य के ज्यादतर लोगों को संदेश पहुंचाने में मदद हुई और उन्हें संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु एवं जैव विविधता कृषि जैव विविधता कृषि जैव विविधता विशेषकर ।

जैव विवधता नियमावली 2008, मणिपुर सरकार ने अनुमोदन दिया एवं मणिपुर जैविक विविधता सरकार ने अनुमोदन दिया एवं मणिपुर जैविक विविधता नियमावली 2008 दिनांक 5.3.2009 को विस्तृत रूप अधिसूचित किया ।

श्री एस. सिंगासेट, प्रधान मुख्य वन संरक्षण का अध्यक्ष नामे, जैव विविधता हेरिटेज स्थान मणिपुर जैवविविधता बोर्ड ने एक समिति गठित की । मणिपुर में जैव विविधता हेरिटेज स्थान पहचानने हेतु एवं जैविक विविधता अधिनियम 2002 धारा 37 के अधीन प्रत्येक स्थान हेतु एक्शन प्लान का सूत्रीकरण किया गया । 15.7.2008 को एक मस्तिष्क हिलाने वाला सत्र आयोजित किया गया । ब्रेन स्ट्राम सत्र में प्रतिभागियों से आए सुझाव के अनुसार निम्नांकित स्थानों को जैव विविधता हेरिटेज स्थान घोषित करने की सिफारिश की गई ।

मणिपुर जैव विविधता बोर्ड की चौथी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जैव विविधता प्रचुर मात्रा में होने के फलस्वरूप इन 19 स्थानों को जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित करने हेतु अधिमान दिया गया । इन स्थानों का पी.बी.आर. का प्रयोग करते हुए भी एक्शन प्लान की तैयारी हेतु इन जैव विविधता धरोहर स्थानों का प्रयोग करें । आगे बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि जैव स्रोत संस्थान को अनुरोध करें कि इन 19 स्थानों में जीवित रखने के विकास पर 2-3 पी.बी.आर. तैयार करें जो पी.बी.बार. के अन्य स्थानों के लिए संदर्भ ग्रंथ के रूप में उपयोगी हों।

जैव विविधता प्रलेखन में सम्मिलित राष्ट्रीय स्तर का संगठन

राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की अंतर्निहित शक्ति के मूल्यांकन में मणिपुर जैव विविधता बोर्ड ने मणिपुर की जैव विविधता के प्रमाणिक प्रलेखन में जिस कौशल को अपनाया व प्रशंसनीय है । तदनुसार भ.वा.सं. और भा.प्रा.सं. मणिपुर के पेड़-पौधे और जीव-जन्तुओं पर बकाया प्रलेखन कार्य को पूरा करने में लगे हैं । "आधारभूत सर्वेक्षण पर प्रशिक्षण, प्रलेखन तत्काल मूल्यांकन और मणिपुर राज्य के चुने हुए क्षेत्रों में परंपरागत क्षेत्रीय स्वास्थ्य की उन्नति" और मणिपुर में औषधीय पौधों का सीमांकन और सर्वेक्षण" पर क्षेत्रीय स्वास्थ्य परंपरा के लिए पुनर्वास संस्थापन बेंगलूर ने पहले से ही परियोजना बना रखी है, ने परियोजनाएं आयुष (AYUSH) विभाग एवं राष्ट्रीय औषधीय बोर्ड, भारत सरकार ने अनुमोदन दिया है ।

3.3 मिजोरम जैव विविधता बोर्ड

1. मिजोरम जैव विविधता बोर्ड ने दिनांक 04.04.2008 को एक बोर्ड की बैठक की ।

2. जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार सभी केंद्र शासित प्रभागों में कार्रवाई की गई कि राज्य के सभी देहाती परिषदों में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन हो । तदनुसार प्रथम सोपान पर 4 डिवीजन आगे आए और देहाती स्तर पर 101 जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया ।

3. मिजोरम जैव विविधता नियमावली वर्ष 2008 में बोर्ड द्वारा मसौदा तैयार किया गया और संवीक्षा एवं समीक्षा हेतु सभी सदस्यों को परिचालित किया गया । पूरा हो जाने पर (31.5.2009) यही मसौदा सरकार को भेजा जाएगा और जैव विविधता अधिनियम 2002 के धारा 63 (3) के अनुसार कानूनी स्वीकृति लेने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

4. एस.बी.बी. एवं बी.एम.सी. की स्थापना हेतु रा.जै.वि. प्राधिकरण से बोर्ड की 15 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हुई है ।

5. बोर्ड ने निम्नांकित कार्यशालाएं आयोजित की ।

   - दिनांक 11.4.2008 को ऐजॉल में प्राइमरी अंशधारियों के लिए बैठक सह प्रशिक्षण
   - दिनांक 24.6.2008 को ऐजॉल में वन्य जीव मामलों पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला
   - दिनांक 5-6.3.2009 को डंपा टाईगर रिजर्व में कैमरे के द्वारा जैव विविधता समझने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला ।
   - लुंगलेई में वर्ष 2008 का जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना ।

6. जैव विविधता संरक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए बोर्ड ने पहल करने हेतु उपाय किए, जैसे- आकाशवाणी, दूरदर्शन निजी स्थानीय टी.वी. चैनल एवं प्रिंट मीडिया। पिक्टोरियल बुकलेट तैयार करने हेतु कार्य करना मिजोरम के जंगली फूल (मिजो में) कार्य जारी है ।

3.4. हिमाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड

जैव विविधता अधिनियम गठित कार्यान्वयन हेतु जागरूकता अभियान हिमाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड ने अंशधारियों के लिए जैविक विविधता अधिनियम के बाबत जागरूकता अभियान का आयोजन किया । 2002 में जैव विविधता रजिस्टर पायलट के आधार पर राज्य में जिन पंचायतों का चयन किया गया है उन पंचायतों के नाम हैं । ग्राम पंचायत चुराग, तहसील करसाग, मंडी जिला हिमाचल प्रदेश (25.10.2008) ग्राम पंचायत खटनाल, तहसील सुन्नी, शिमला जिला मिलाचल प्रदेश (29.10.2008) ग्राम पंचायत तुंग, तहसील बंजर, कुल्लु जिला हिमाचल प्रदेश (8.11.2008) ग्राम

पंचायत दरलघाट, तहसील अरकी, सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश (25.11.2008) ग्राम पंचायत झुकाला, तहसील सदन, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश (1.3.2009) ग्राम पंचायत सरहन, तहसील चोपाल जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश (25.3.2009) एवं ग्राम पंचायत गर्ली, तहसील रक्कड, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश (29.3.2009)

दिनांक 1.3.2009 को एक दिवसीय कैंप में ग्राम पंचायत झुकाला के अंशधारियों को संबोधित डॉ.वी.के. शर्मा सेवानिवृत्त प्रोफेसर यू.एच.एफ. नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश में एक व्याख्यान दिए ।

भारत सरकार द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 एवं जैविक विविधता नियमावली 2004 पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर साथ ही जैव विविधता संरक्षण पर बने अधिनियम पर जो विचार वक्ता द्वारा प्रस्तुत किए उससे प्रतिभागियों को अवगत कराया गया । जैव विविधता सीमा के बारे में अंशधारियों को संक्षेप में बताया गया ।

संरक्षण की आवश्यकता, उसके महत्व, धमकियाँ / समस्याएं जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सामना करना पड़ता है । जैव विविधता का संयोजन एवं आंतरिक संबंध सामान्य अंशधारियों के सहित प्रतिभागियों को विस्तारपूर्वक बताया गया ।

डॉ. जी.सी. राणा, वरिष्ठ वैज्ञानि, एन.बी.पी.जी.आर. फागली, शिमला, जागरूकता कैंप के दौरान अंशधारक प्रतिभागियों ने प्रश्न पूछे गए । ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत चुराग, तहसील सदर झुकाला जिला बिलासपुर कर सोग तहसील मंडी जिला में दिनांक 25.10.2008 को एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया । जैवे विविधता अधिनियम को प्रतिभागियों द्वारा उजागर किया गया । भारत सरकार, नई दिल्ली एम.ओ.ई.ई. द्वारा अधिसूचित 2002 का जैविक विविधता प्रावधान एवं नियमावली 2004 को प्रतिभागियों के सामने मुख्य रूप से बताया गया । प्रतिभागियों के साथ चर्चा की गई और प्रतिभागियों को तुरंत स्पष्टीकरण दिया गया ।

राज्य में पायलट आधार पर जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने हेतु सात पंचायतों में राज्य परिषद की जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित की गई । उन पंचायतों का नाम है, ग्राम पंचायत चुराग, तहसील करसाग, मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश, ग्राम पंचायत खटनाल तहसील सुनी, जिला शिमला हिमिाचल प्रदेश, ग्राम पंचायत तुंग, तहसील बंजर, जिला कुल्लु हिमाचल प्रदेश एवं ग्राम पंचायात दरलघाट तहसील अरकी, जिला सोजन, हिमाचल प्रदेश, ग्राम पंचायत झुकाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, ग्राम पंचायत सरहन, तहसील चोपाल, जिला शिमला, ग्राम पंचायत गार्ली, तहसील रक्कड, जिला कांगड़ा एवं ग्राम पंचायत कफनु, तहसील निचर जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश ।

22 मई 2008 को राज्य जैव विविधता बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया । राज्य में जैव विविधता के अंशधारियों के लिए राज्य द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलाई । समारोह के दिन इको क्लब, रेडिया वार्ता, दूरदर्शन कार्यक्रम, प्रदर्शनी आदि गतिविधियाँ चलाई गई।

जाति जैव विविधता पंजीयन हेतु स्थानीय समुदाय क्षमता का भवन बनाने हेतु राज्य जैव विविधता बोर्ड ने एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया । परंपरागत पाककला का दस्तावेज हिमाचल प्रदेश एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जीविका को सुधारने हेतु जोड़ना, पवित्र ग्रोवज प्रोन्नत हेतु प्रस्ताव एवं पवित्र स्थान अर्थात धरोहर स्थान को उनकी प्रतिभागिता

को सुनिश्चित करते हुए हिमाचल प्रदेश की जीवितोपयोगी प्रबंधन एवं जैव विविधता की स्थिति पर मसौदा तैयार करें ।

वीडस के प्रबंधन हेतु राज्य परिषदन एक परियोजना, जैसे - लैनटाना पूर्तिनियम एवं एजरतुम हेतु हिमाचल प्रदेश के योजना विभाग से निधि प्राप्त करने हेतु राज्य के इनफेस्टेड क्षेत्रों में पायलट के आधार पर वीडस प्रबंधन हेतु प्रस्ताव तैयार किया ।

जैव विविधता के सामान्य अंशधारियों के लिए जागरूकता हेतु सूचना, शिक्षा, एवं संचार सामग्री हिंदी में संकलित करके प्रकाशित की गई प्रदेश में पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन ।

3.5 तमिलनाडु राज्य जैव विविधता बोर्ड

- तमिलनाडु जैव विविधता बोर्ड गठित किया गया संदर्भ: सरकारी आदेश एम.एस. नं. 32/एफ.आर.-5/ 2008 पर्यावरण एवं वन विभाग दिनांक 29.4.2008

- तमिलनाडु राज्य जैव विविधता बोर्ड की प्रथम बैठक 14.10.2008 को आयोजित की गई ।

- तमिलनाडु के धरोहर स्थल जैव विविधता क्षेत्रों को पहचानने हेतु नॉर्म्स बनाने, एक उप समिति गठित की गई थी और राज्य जैव विविधता बोर्ड हेतु तमिलनाडु नियमावली तैयार की गई । प्रथम उप समिति की बैठक दिनाक 28.2.2009 को आयोजित की गई एवं उपरोक्त मु-ों पर चर्चा की गई । वर्तमान में राज्य जैव विविधता बोर्ड ने तमिलनाडु नियमावली तैयार की गई एवं जो उप समिति के जाँच के अधीन । यह निर्णय लिया गया कि महत्वपूर्ण उपवन सम्मिलित किए जाएं, जो कि जैव विविधता से वि¹ुल है जैसे धरोहर स्थल जिसकी अंतिम सूची तैयार की जा रही है ।

- तमिलनाडु के 31 जिलों के जिला आयुक्तों ने उनके संबंधित जिलों में बी.एम.सी. के निर्माण हेतु सचिव तमिलनाडु सरकार के माध्यम से संबोधित किया ।

3.6. कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड

बोर्ड ने निम्नांकित गतिविधियाँ चलाई:-

1. जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन (बी.एम.सी.)
2. जैव विविधता पर जागरूकता प्रशिक्षण एवं बी.एम.सी. से संबंधित मामले, देहाती, सरकारी कर्मचारी, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय छात्र एवं शिक्षक, सामान्य जनता
3. एन.जी.ओ. से मार्गदर्शन सह बी.एम.सी द्वारा पी.बी.आर. तैयार करना, वन विभाग एवं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि
4. जैव विविधता अधिनियम के अधीन कुछ स्थान, जैसे - धरोहर स्थल की घोषण हेतु प्रस्ताव तैयार करना ।
5. अनुसंधान परियोजना
6. कार्यशालाओं का आयोजन
7. जैव स्रोत का उपयोग करके जैव उद्योग का सर्वेक्षण

जैव विविधता जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम:-

जैव विविधता के संबंध में एवं उससे संबंधित पारपारिक ज्ञान संबंधी जैव विविधता से संबंधित जोड़ते हुए जागरूकता लाने हेतु कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड ने प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लिया है ।

जाति जैव विविधता पंजीयन तैयार करना (पी.बी.आर.)

जैव विविधता अधिनियम के अनुसार जाति जैव विविधता पंजीयन को तैयार करना । पंजीयन विस्तृत जानकारी उपलबध होगी, स्थानीय जैविक स्रोत का ज्ञान, उनका औषधीय अथवा कोई अन्य प्रयोग एवं पारंपरिक ज्ञान से जोड़ा गया है । जाति जैव विविधता पंजीयन विभिन्न जिलों के ग्राम पंचायत स्तर पर की गई है ।

जाति जैव विविधता रजिस्टर एक पंचायत स्तर का रजिस्ट है । वह एक स्थानीय जैव विविधता दस्तावेज है और जैव विविधता पर उसका संरक्षण एवं उसके प्रयोग सहित स्थानीय समुदाय का ज्ञान है ।

2008-2009 पी.बी.आर दस्तावेज किए गए । अभी तक 69 पी.बी.आर. 13 जिलों में कवर करते हुए पूर्ण करके जारी किया । जैव विविधता दस्तावेज अन्य ग्राम पंचायतों / जिलों में जारी है।

जैव विविधता धरोहर स्थल:- देवन हल्ली तालुका में (बेंगलूर जिला) नल्लुर गांव में इमली के बाग को धरोहर स्थल के रूप में पहले ही घोषित किया गया है । स्थल के चारों ओर तारों की बाड़ लगाई गई है । उस पर एक बोर्ड लगाने का विचार है । कारवार जिले में नेथराणिद्वीप घोषित करने का प्रस्ताव है । इसे भी धरोहर स्थल घोषित करने के लिए सरकार को प्रस्तुत किया गया है ।

धरोहर वृक्ष:- फिल्ड स्तर के अधिकारियों ने निवेदन किया है कि ऐसे अद्वितीय वृक्षों को धरोहर वृक्ष के रूप में घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

बोर्ड ने निम्नांकित साहित्य प्रकाशित किया है :-

1. कर्नाटक राज्य जैव विविधता रणनीति एवं एक्शन प्लान (के.एस.बी.एस.ए.पी.)
2. इमली उपवन में पक्षी विविधता, गांव- नल्लुर, देवनहल्ली तालुका, बेंगलूर
3. प्राचीन भारतीय साहित्य में वृक्ष
4. नल्लूर ईमली उपवन अनुसंधान रिपोर्ट
5. जैव विविधता अधिनियम एवं नियमावली के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पाणियां
6. जैव विविधता की तिमाही प्रथम समाचार पत्र
7. स्थानीय पारंपारिक ज्ञान के दस्तावेज पर कार्यशाला की कार्यवाही

न्यूज लेटर:- विशेष सूचना एवं जैव विविधता के विभिन्न अवयवों पर विभिन्न स्रोतों से लेख विस्तृत रूप से देने के लिए कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड ने एक न्यूज लेटर प्रारंभ किया ।

Coral Reefs at Karaichalli Island, GoMBR *Source: Tamil Nadu Forest Department, Ramanathapuram*

जैव उद्योगों का सर्वेक्षण एवं जैव स्रोत की उपयोगिता :- जैव उद्योगों का सर्वेक्षण एवं जैव स्रोत की उपयोगिता हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता पाधिकरण ने एक परियोजना हेतु निधि प्रदान की है । राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा 3 लाख रुपए की राशि वितरित की है । जैव उद्योगों से जैव स्रोत सूचना एकत्र करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है जिनमें कर्नाटक इंडियन मैनुफैक्चरर एसोसिएशन (पंजीकृत) कर्नाटक युनानी / होमियोपैथी मेडिकल एसोसिएशन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बागवानी विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, वन विद्या ।

कार्यशाला/संगोष्ठी:- स्थानीय पारंपरिक ज्ञान के प्रलेखन पर एक कार्यशाला बेंगलूर में आयोजित की गई । राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष ने उदघाटन करते हुए मुख्य भाषण दिया । इस कार्यशाला में जो उपस्थित थे, वे हैं - कर्नाटक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, नटी विद्या, विभिन्न सरकारी विभाग, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठन, मीडिया कर्मी एवं सेवानिवृत्त अधिकारी यह कार्यशाला चलाने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से निधि प्राप्त हुई थी।

सूखाग्रस्त जिलों में जैव विविधता का इनसिटु संरक्षण:- इसे पहचानने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई और एक 100-200 हेक्टर उपलब्ध क्षेत्र का सीमांकन किया गया गया है और 13 जिलों के वन में जो प्रजातियां लुप्त हो रही थी उसे सिटु संरक्षण देने हेतु पहचाना गया है अर्थात बेंगलूर, बागलकोट, बेल्लारी, बिदर, बिजापुर, चामराजनगर, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, कोलार, कोप्पाल, मंडया, रायचुर एवं तुमकुर । इस परियोजना को उप संरक्षक वन (प्रादेशिक) उन जिलों के अधिकारी कार्यान्वित कर रहे हैं ।

सरकार को सलाह:- उगाही, फार्मस्युटिकल कंपनियों पर उपकर प्रभार हेतु उनके टर्न ओवर के आधार पर बोर्ड ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजी है ।

3.7 मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड

जैव विविधता अधिनियम 2002 के धारा 63 के उपधारा (1) के अनुसार मध्य प्रदेश जैव विविधता अधिनियम 2004 को मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचित किया है । मध्य प्रदेश जैव विविधता अधिनियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार 2002 के जैव विविधता अधिनियम सहित पढ़े । मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन किया है जो 11 अप्रैल 2005 से प्रभावी है ।

वर्ष 2008-09 के दौरान परियोजना कार्य को कार्यान्वित किया गया एवं उम.पी.एस.बी.बी. को अंतरिम /अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

जाति जैव विविधता पंजीयन:- यह निर्णय लिया गया कि जाति जैव विविधता पंजीयन तैयार करते समय पी.बी.आर) दोनों वन एवं साथ ही साथ जो देहात स्थानीय जंगल में है उनका राजस्व राज्य वन विभाग को सौंपा गया । वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य वन विभाग ने 867 वन में रहनेवालों का पंजीयन किया 233 राजस्व गांवों का एम.पी.एस.बी.बी. को पी.बी.आर. के नमूने प्रस्तुत किए गए ।

मध्य प्रदेश का जैव विविधता मानचित्र :- मध्य प्रदेश का जैव विविधता मानचित्र तैयार करते समय प्रजातियाँ / विविधताएँ को दोनों वन एवं उपजाऊ पौधे एवं फसलों को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के सभी 50 जिलों में प्रत्येक तहसील में वन एवं घरेलू प्राणियों का मानचित्र मध्य प्रदेश परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एम.पी.सी.ओ.एस.टी.) भोपाल को सौंपा गया है । संबंधित विभागों से आंकड़े प्राप्त करके दिए गए हैं, जैसे - वन विभाग, कृषि विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग एवं मत्स्य विभाग आदि ।

शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण: मौगली उत्सव, **2008**:- स्कूली छात्रों में वन संरक्षण, वन्य जीव, जैव विविधता एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु एम.पी.एस.बी.बी. के सक्रिय प्रतिभागिता के फलस्वरूप सिनो जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में मौगली उत्सव 2008 आयोजित किया गया । राज्य शिक्षा विभाग, जनजाति विभाग, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड, जिला प्रशासन आदि । इस उत्सव में भाग लेने हेतु प्रत्येक जिले के 4 स्कूली छात्रों का चयन किया गया था । जिसका आधार था, पेंटिंग, मौगली उत्सव 2008 के दौरान निबंध प्रतियोगिता, विभिन्न गतिविधियाँ, जैसे - इकोट्रेकिंग, सफारी एवं देहात - पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आगमन, खेलकूद एवं प्रश्नोत्तरी, टिलिजेशन हेतु प्रतिभागी स्कूली छात्रों के लिए आयोजित किया गया । उनके द्वारा उत्तर मिलने हेतु "मौगली का पति" का भी परिचालन स्कूली छात्रों में किया गया ।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (**22** मई **2008**):- अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (22 मई 2008) मनाने 10000/- रूपये की राशि प्रत्येक जिला आयुक्त को संगोष्ठियाँ, बैठकें, रैलियाँ, प्रतियोगिताएँ आदि आयोजित करने के लिए भेजी गई । अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (22 मई 2008) मनाने का मुख्य विषय था "जैव विविधता एवं कृषि"

मध्य प्रदेश की जैव विविधता डोक्युमेंटरी फिल्म:- मध्य प्रदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश की जैव विविधता पर लघु डोक्युमेंटरी फिल्म बनाकर सौंपी गई । राज्य सरकार के अधीन एक अंडरटेकिंग है, जिसके तहत काम प्रगति पर है ।

तिमाही न्यूज लेटर एम.पी.एस.बी.बी. की जैव विविधता :- दिसंबर 2006 से एम.पी.एस.बी.बी. ने जैव विविधता तिमाही न्यूज लेटर नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है । इन न्यूज पत्रिकाओं को सभी संबंधित सरकारी विभाग, निकायों, विश्वविद्यालयों, जिला आयुक्त, बी.एम.सी. आदि ।

एम.पी.एस.बी.बी. का प्रदर्शन:- "वन मेला" में एम.पी.एस.बी.बी. की एक गतिविधियों का प्रदर्शन हेतु एक स्टॉल बनाया गया । जिसका आयोजन एम.पी. कनिष्ठ वन उत्पाद फेडरेशन द्वारा किया गया है ।

जैव विविधता भाष्य केंद्र:- पर्यावरण शिक्षा केंद्र पुणे द्वारा जैव विविधता भाष्य केंद्र का ब्लू प्रिंट गुरू गोविंद सिंह पार्क भोपाल में तैयार किया गया ।

वेबसाइट:- एम.पी.एस.बी.बी.का कार्यालयीन वेबसाइट अनुरक्षण (पता - www.mpsbb.org.in) किया जाता है । Ex-situ/ In-situ संरक्षण

अध्ययन परियोजना :- राष्ट्रीय चंबल प्राणी उद्यान मध्य प्रदेश में कछुआ प्रजनन एवं घड़ियाल प्रजनन काल पर रेल खनिज का खतरा मंडरा रहा है । यह कार्य जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर प्राणी विज्ञान के छात्रों को अध्ययन हेतु सौंपा गया है । एम.पी.एस.बी.बी. से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं उचित मदम उठाने के लिए यह रिपोर्ट राज्य वन विभाग से वन्य जीव स्कंध को भेजी गई ।

उत्तम जैव विविधता बाग हेतु प्रतियोगिता :- जैव विविधता की एक्स सिटु (Ex-situ) संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए बाग की भूमिका के बारे में सभी जिला आयुक्तों को निदेश दिया जाता है कि उनके जिलों में प्रतियोगिता आयोजित की जाए । उत्तम जैव विविधता के चयन हेतु पब्लिक/ निजी गार्डन का चयन करें । प्रत्येक जिला आयुक्त को 5000 रू. की राशि का नकद पुरस्कार भेजा गया ।

ग्वालियर जिले में जैव विविधता पार्क:- एम.पी.एस.बी.बी. ने राज्य वन विभाग के जैव विविधता पार्क ग्वालियर परियोजना स्थापना हेतु सौंपा गया है, जो कार्य प्रगति पर है ।

वानस्पतिक गार्डन की स्थापना:- एम.पी.एस.बी.बी. द्वारा उज्जैन जिले में वानस्पतिक गार्डन परियोजना की स्थापना हेतु राज्य वन विभाग को कार्य सौंपा गया, जो कार्य पूर्ण हो चुका है ।

आर.ई.टी. पौधों के नर्सरी की स्थापना:- भोपाल, रेवा एवं जबलपुर जिलों में आर.ई.टी. पौधों के नर्सरी की स्थापना की गई है । पौधा रोपण कार्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों को बेचने हेतु पौधों को बढ़ाया जा रहा है।

जैव विविधता धरोहर स्थलों की स्थापना:- सभी जिला आयुक्तों को निदेश दिया जाता है कि जैव विविधता स्थलों को पहचान कर उनके अधिसूचना हेतु रा.जै.प्रा. द्वारा परिचालित मार्गदर्शक मसौदे के मानदंडों के अनुसार कुछ स्थानों को पहले ही पहचाना गया है और बी.एस.आई द्वारा सुझाव दिए गए हैं ।

अभिशासन:

जैवि विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.): सभी जिला आयुक्तों को निदेश दिया जाता है कि उनके जिले में ग्राम सभा स्तर पर बी.एम.सी. का गठन किया जाए । काम प्रगति पर है । इसका उल्लेख किया जाता है कि सभी जिला पंचायत जनपद पंचायत ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम पालिका परिषद बी.एम.सी. का गठन पहले ही किया जा चुका है ।

जैव विविधता प्रबंधन समिति हेतु कार्यशाला:- बी.एम.सी. के प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला गठित करने पर विचार किया गया । यह कार्य भोपाल के वन प्रबंधन भारत संस्था को सौपा गया । इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयारकी जा रही है ।

जैव विविधता अधिनियम/नियमावली और बौद्धिक संपदा अधिकार पर कार्यशालाएँ:-

राष्ट्रीय विधि संस्था विश्वविद्यालय, भोपाल ने जैव विविधता अधिनियम/नियमावली एवं बौद्धिक संपदा अधिकार सहित सहायता से कार्यशालाएँ आयोजित करने पर विचार किया गया । इसके लिए राष्ट्रीय विधि संस्था विश्वविद्यालय, भोपाल ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर एक विस्तृत टिलिजेशन टिप्पणी तैयार की है ।

जैव विविधता नियमावली 2004 एवं मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम 2004, बौद्धिक संपदा अधिकार पर विस्तृत टिलिजेशन टिप्पणी प्रगति पर है ।

वन प्रभाग की कार्य योजनाओं में जैव विविधता मामलों का निगमित करना:-

राज्य वन विभाग ने पूछा है कि मध्य प्रदेश के स भी वन प्रभागों में कार्य योजनाओं में जैव विविधता मामलों को निगमित किया जाए । पूर्व में, राज्य वन विभाग के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए राज्य वन अनुसंधान संस्थान आदि के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई । उचित कार्रवाई हेतु राज्य वन विभाग ने इस कार्यशाला के लिए सिफारिश भेजी है ।

संबंधित राज्य सरकार विभाग के कार्यक्रम, जैव विविधता मामलों की नीतियों को निगमित करना:- सभी संबंधित राज्य सरकार के विभागों को पूछा गया है कि जैव विविधता मामले एवं उनकी नीतियों में साथ ही साथ कार्यक्रम/योजना में निगमित करके उचित कार्रवाई करें।

3.8 छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड

राज्य जैव विविधता बोर्ड दिनांक 16.02.06 से प्रभावी हुआ। अधिसूचना एवं एफ-8-29/2006/102 दिनांक 16.02.06 एस.एस.बी. के समीक्ष बैठक के अनुपालन में ऊटी में सभी राज्यों को 28 एवं 29 अप्रैल 2008 एवं निदेश जारी सं. डी.ओ.नं.28-10/ 2008-सी.एस.-III (NBA) सचिव, भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ से राज्य को संबोधित किया गया। एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया कार्यालय पत्रांक सं.डब्ल्यू.एल./बी.डी/08/1896 दिनांक 01.08.2008 छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड को पुनर्गठित किया जाए। वर्तमान अधिसूचना में वांछित संशोधन की प्रतीक्षा की जा रही है। अधिसूचना सं.एफ.-8-21/2005/102 दिनांक:16.02.2006

बोर्ड द्वारा एस.बी.बी. के आवश्यक स्टाफ हेतु अनुमोदन दिया है। जबकि सरकार ने अब तक आंशिक मात्रा में स्टाफ की स्वीकृति दी है। जैसे 1 वैज्ञानिक, 1 उप संरक्षक, 1 प्रधान लिपिक एवं एक डाटा एंट्री ऑपरेटर/ निजी सहायक। केंद्र सरकार, वन विभाग, पत्र सं.एफ.1-6/2007/10-1/van दिनांक 08.9.2008 भर्ती एवं नियुक्ति/ अन्य विभाग का स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जा रहा है। बोर्ड के सदस्य सचिव के साथ आज सालिटरी डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं। अन्य स्टाफ को भरने का प्रयास किया जा रहा है।

फिल्ड स्तर पर अनुदेश जारी किए गए हैं कि जैव विविधता प्रबंधन समिति का ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर एवं राज्य के सभी 18 जिलों में जाति जैव विविधता पंजीयन तैयार करने हेतु, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि थोड़े ही समय में प्राप्त किया जाएगा।

जैव विविधता धरोहर स्थल: राज्य में यूनेस्को की टीम आई है और 17 अक्तूबर 2008 को मुख्य सचिव के साथ बैठक की है। वन विभाग एवं सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से सिपुर एवं कंकेर घाटी राष्ट्रीय पार्क एवं बस्तर का कुछ भाग संभावना धरोहर स्थल की घोषण हेतु युनेस्को द्वारा धरोहर स्थल को घोषित करने की मान्यता प्राप्त हुई है। अन्य जैव विविधता धरोहर स्थलों को पहचान की जा रही है और थोड़े ही दिन में उसकी सूची प्रकाशित की जा रही है।

3.9 अरूणाचल टिलिजा जैव विविधता बोर्ड:-

- जैव विविधता नियमावली 2009 अरूणाचल प्रदेश का मसौदा तैयार किया गया। और अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव ने जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा हेतु भोपाल, आंध्रप्रदेश एवं कर्नाटक की यात्रा की।

- अधिनियम की धारा 8 के अधीन वनस्पति एवं जीव जन्तुओं की प्रजातियों की संकटपन्न एक व्यापक सूची तैयार की गई और अधिसूचना हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई।

- राज्य जैव विविधता रणनीति एवं एक्शन प्लान अद्यतन संशोधित एवं प्रकाशित।

- जैव विविधता बोर्ड कार्यालय को शक्ति शाली बनाया।

3.10 आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड

आंध्र प्रदेश का प्रथम जैविक धरोहर स्थल:

अनंतपुर आंध्रप्रदेश के ग्राम पंचायती वीरपुरम के संकल्प के आधार पर जैव विविधता बोर्ड ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वीरपुरम संरक्षण तालाब औद्योगिक पार्क जैसा फीडिंग जोन हेतु जैविक धरोहर स्थल वेलिकेन हो।

विशाखापटणम में डालफिन संरक्षण सोसायटी द्वारा जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई। मान्यता प्राप्त करने हेतु उसी तरह की पहल की गई।

वरंगल वन के संरक्षक (पी एंड ई) ने आंध्र प्रदेश वरंगल क्षेत्र के रतन में वर्तमान संरक्षक हेतु एक प्रस्ताव दिया है। बोर्ड ने परियोजना बीजारोपण करने के उ-श्य से स्वीकृति दी गई है। यह भी प्रस्ताव आया है कि सीतमपेटा के जैविक पार्क में मटर का विकास किया जाए। जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) के प्रबंधन के अधीन मटर विविधता पार्क संबंधित ग्राम पंचायत एवं हाई अल्टीटयुड अनुसंधान स्टेशन, सीतमपेटा, आचार्य एव.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त किया।

आंध्र प्रदेश जैविक विविधता बोर्ड ने एक प्रयास किया कि जैविक स्रोत का उपयोग करके अभिकरणों से विभिन्न जैविक स्रोत की उपयोगिता

के मात्रा का निर्धारण किया, जैसे - हर्बल इकाईयाँ, बीज उद्योगों और आंध्र प्रदेश की अन्य जैव तकनीकी एवं निवेदन किया गया है कि जैव विविधत अधिनियम 2002 का विवरण फार्म- 1 में प्रस्तुत करें । बी.एम.सी. महानंदी ने निश्चय किया है कि एक अकिभवृद्धि फीस रू. 300 लाख मल्टीनेशनल सीड कंपनी मॉनसैंटो हेतु जैव ससाहित्य की चोरी जैसे - बैक्टेरिया, बैसील्स, तुरंगजिनेसिस, आंधप्रदेश जैव विविधता बोर्ड ने साफ्ट ड्रिंक कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया है जो हर्बल कोला तैयार करते हैं । पारंपरिक ज्ञान के आधार पर पेय नन्नारी रस आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में ।

जैव विविधता की चोरी के मामले पर जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जर्मन राष्ट्र के डॉ. मैक क्लार्क बागगेटन एवं उसका स्थानीय साथी श्री वेंकट रेड्डी जो नवंबर 2007 में विशाखापटणम के अरकु घाटी से आया था, के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया । अब तक लगभग 11 जैव विविधता प्रबंधन समितियों कागठन कर्नुल, नलगोंडा महबूब नगर, विशाखापटणम, अनंतपुर जिले में किया गया । सोना मसूरी किस्म का चावल आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय जिसका 1980 में खोजी गई । और मलेशिया ट्रेड मार्क कार्यालय ने ट्रेड मार्क के रूप में पंजीकृत किया गया । बोर्ड द्वारा सोना मसूरी ट्रेड नाम पर आपत्ति उठाई जो नियति चावल के अधीन है ।

क्षमता निर्माण एवं मानव स्रोत विकास:

फोटो प्रदर्शनी आयोजित करना एवं विभिन्न अंशधारियों हेतु समालोन जैसे कि एक जैव विविधता प्रबंधन समिति सदस्य, गैर-सरकारी संगठन एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनुसंधान शोधार्थी, स्थानीय जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएँ एवं संगोष्ठी जैसे कि इ

जैव साहित्य चोरी एवं बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित जैव विविधता पर राष्ट्रीय कार्यशाला राष्ट्रीय कार्यशाला 23 - 8.2008 को प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज आफ इंडिया हैदराबाद में आयोजित की गई ।

- 25 -26 अक्तूबर 2008 को दक्षिणी राज्यों के वन मंत्रियों का सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया ।

- अरकु घाटी में जिला स्तर की बैठक विशाखापटणम एवं चित्तूर

- भा.प्रौ.सं. मुम्बई, पवई, मुम्बई में दो दिवसीय संगोष्ठी का भा.प्रौ.सं. मुम्बई में आयोजित की गई । जैव तकनीकी छात्रों में कार्बन डायऑक्साइड माईग्रेटरी एवं जैव विविधता सदस्य 21, 22 अक्तूबर 2008 को सदस्य सचिव ने संगोष्ठी में भाग लिया ।

दिनांक 23 और 24 दिसंबर 2008 को वालकुंठ मेहरा राष्ट्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान पुणे में "वानिकी में लोक व जन की सहभागिता" विषय पर दो दिन की कार्यशाला आयोजित की गई ।

- दिनांक 18.06.2008 को भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, बेला विस्टा में वार्ता सत्र आयोजित किया गया ।

- दिनांक 23.08.2008 को जैव साहित्य चोरी से संबंधित, जैव साहित्य चोरी से संबंधित जैव चोरी और बौद्धिक संपदा अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई ।

- दिनांक 12.12.2008 को संकटापन्न किस्मों के बारे में विशेषज्ञ समिति द्वारा बैठक की गई ।

- दिनांक 16.12.2008 को परंपरागत ज्ञान पर रोमांचकारी सत्र आयोजित किया ।

3.11. सिक्किम राज्य जैव विविधता बोर्ड

"सिक्किम, भारत में अनुवांशिक संसाधन और परंपरागत ज्ञान के बारे में हितलाभ सहभागिता और अभिवृद्धि पर क्षमता निर्माण और जागृति सृजन पर एकात्मक पर्वत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र काठमांडु नेपाल में सिक्किम राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

सिक्किम में जैव विविधता और कृषि वन्यजीव विविधता

सिक्किम में जैव विविधता संरक्षण पर अध्यापकों और छात्रों के लिए जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई ।

- ट्रस्मगो पोखारी संरक्षण समिति द्वारा पर्यावरण और संरक्षण सह जागृति कार्यशाला आयोजित की गई ।

- सिक्किम का शिक्षा विकास ट्रस्ट द्वारा सिक्किम में जैव विविधता और संरक्षण सि.शि.वि.ट्र. शक्ति 10 कार्यक्रम आयोजित की गई ।

- भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 और जैविक विविधता नियम 2004 के अनुसार नुवांशिक संसाधन और संबंधित टीके पर लिंगी, दक्षिण सिक्किम, खमडोंग-सिमिक, पूर्व, सिंगटम पेंडम, सिक्किम के अच्छे पर्यावरण के लिए पूर्व सोसायटी, नेफेड प्रशिक्षण सह जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

- सिक्किम की जैव विविधता (वनस्पति, वन्यजीव, प्राकृतिक आवास) मार्चक पर एस.एस. कार्मिक, पूर्वी सिक्किम 24 बटालियन एस.एस.बी. ।

- सिक्किम के जंगलों में व्यापार डब्ल्यू.एल. का घुमाव, सेना, भा.ति.सीपु., पुलिस उत्पाद, कार्मिक इत्यादि पर दो कार्यशालाएं । डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. - भारत सिक्किम फिल्ड कार्यालय ट्रैफिक और आई.यू.सी.एन. ।

- वृहत चिड़ियाघर शिक्षा योजना,, पदमजा नायडू हिमालय जूलाजिकल पार्क पर्यावरण शिक्षा के लिए केंद्र पर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए कार्यशाला ।

- जाति जैव विविधता पंजीयन जैव विविधता प्रबंधन समिति/ राज्य जैव विविधता प्रबंधन समिति/ राज्य जैव विविधता बोर्ड के रूप में अधिसूचित होने चाहिए ।

- दिनांक 26.9.2008 को ही-गांव पश्चिमी सिक्किम में अनुवांशिक संसाधनों और उससे संबंधित परंपरागत ज्ञान की अभिवृद्धि और हितलाभ सहभागिता पर एक बैठक और खुला मंच विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

- दिनांक 20 नवंबर 2008 को लिंगी, दक्षिण सिक्किम में अनुवांशिक संसाधनों और उससे संबंधित परंपरागत ज्ञान की हितलाभ सहभागिता और अभिवृद्धि पर प्रशिक्षण सह जागृति कार्यक्रम आयोजित किया ।

- दिनांक 10 दिसंबर 2008 को सुमिक, पूर्वी सिक्किम में अनुवांशिक संसाधनों और उससे संबंधित परंपरागत ज्ञान की हितलाभ सहभागिता और अभिवृद्धि पर प्रशिक्षण सह जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

- दिनांक 26 अक्तूबर से 01 नवंबर 2008 तक लेखनाथ नगरपालिका, पोखरा ने पाल के लीवर्ड और बेगांस गांव में इकिमोड काठमांडु, गोदावरी प्रदर्शन केंद्र की यात्रा कर वर्णन किया। (एक वरिष्ठ वन अधिकारी और एक जिला [1]ंचायत के सदस्यों सहित सिक्किम से चार लोगों ने भाग लिया)

- दिनांक 25 सितंबर 2008 को गंगटोक सिक्किम के देवराली में वन, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंधन विभाग, वन सचिवालय में बैठक की गई।

- दिनांक 15 - 16, 2008 में शिलांग में अनुवांशिक संसाधनों और उससे संबंधित परंपरागत की हितलाभ सहभागिता और अभिवृद्धि पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई । (जिसमें एक मीडिया कर्मी सहित दो लोगों ने सिक्किम से भाग लिए)

- दिनांक 28 फरवरी 2009 को खामगांव पंचायत इकाई द्वारा पश्चिमी सिक्किम में खामगांव की अनुवांशिक संसाधनों और उससे संबंधित परंपरागत ज्ञान की हितलाभ सहभागिता और अभिवृद्धि विषय पर प्रशिक्षण सह जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

- "सिक्किम भारत में अनुवांशिक संसाधनों और उससे संबंधित परंपरागत ज्ञान की हितलाभ सहभागिता और अभिवृद्धि" विषय पर नेपाली भाषा में सरल सामग्री विकसित की गई । इस सामग्री में भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002, भारतीय जैविक विविधता नियम 2004 और सिक्किम राज्य के जैव विविधता नियम 2006 के बारे में सक्षिप्त जानकारी भी शामिल है ।

3.12 केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड:

- 14 पंचायत और 1 नगर निगम सहित 15 जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ गठित की गई ।
- 14 पंचायतों में जाति जैव विविधता पंजीयन के दस्तावेज तैयार किए और वर्ष 2009-2010 के अंत तक 100 पूरे होने की आशा है ।
- पूरे राज्य के दलदली भूमि का नक्शा 1:12,000 पैमाने पर किया जा रहा है। यह दो माह में पूर्ण हो जाएगा ।
- मल्लापुरम जिले के दलदली भूमि में दलदली भूमि जैव विविधता और आजीविका पर एक आदर्श दलदली भूमि प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किया ।

- वर्ष 2009-2010 के अंत तक 1: 4000 के अनुप्रभात पर तटीय पारिस्थितीय प्रणाली का मानचित्रण पूरा हो जाएगा ।

- जैव विविधता और आजीविका पर एक आदर्श दलदली भूमि प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

- इस वर्ष के दौरान 400 एकड़ में सूक्ष्म-जल विभाजक पर जैव विविधता कृषि पारिस्थितीय प्रणाली की कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

- वर्ष 2008-2009 एक परियोजना की पहल पर नेटवर्क संरक्षित क्षेत्र के बाहर जैव विविधता संपन्न क्षेत्र का पता लगाया । इस पहचान क्षेत्र को अलगे चरण में संरक्षण आरक्षित, सामुदायिक आरक्षित या जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया जाएगा ।

- वर्ष 2007 में पक्षी दर्शकों के साथ मिलकर जलमुर्गियों की जनगणना शुरू की गई थी । वह कार्यक्रम वर्ष 2008 के दौरान राज्य में बगुलों का संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था उसे पक्षी दर्शकों के साथ मिलकर बगुलों की गणना पूरे राज्य में की गई ।

- इस वर्ष के दौरान केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रकृति शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

(क) विद्यालय और कॉलेज के लिए प्रकृति शिक्षा कार्यक्रम
(ख) विद्यालय प्रांगण में जैव विविधता वृद्धि कार्यक्रम
(ग) मीडिया के लिए प्रकृति शिक्षा कार्यक्रम
(ग) सचिवालय स्टाफ के लिए प्रकृति शिक्षा कार्यक्रम
(घ) बाल जैव विविधता कांग्रेस ।

- केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया और इसके लिए हरित पुरस्कार दिया गया । (1) प्रकृति संरक्षण में आजीवन योगदान के लिए व्यक्तिगत (2) विद्यालयों (3) विद्यालय अध्यापकों (4) संस्थान इत्यादि ।

- जैव विविधता संरक्षण से संबंधित दो योजनाओं की शुरूआत केरल राज्य जेव विविधता बोर्ड द्वारा इस वर्ष के दौरान की गई:

    - केरल राज्य की जैव खेती नीति
    - केरल राज्य पर्यावरण नीति

- केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड ने अनुवांशिक परिवर्तित फसलें और खाद्यान्न विषय पर अप्रैल 2008 में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई । इस संगोष्ठी में विचार-विमर्श किया गया कि अनुवांशिक परिवर्तित फसलों ने अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है । (i) क्षेत्रीय जैव विविधता (ii) स्वास्थ्य (iii) अर्थव्यवस्था और (iv) खाद्यान्न सुरक्षा और संप्रभुता और यह संकल्प सामने आया कि केरल को अनुवांशिक परिवर्तन मुक्त रखा जाए और केंद्रीय सरकार से यह अनुरोध किया कि भारत को भी अनुवांशिक परिवर्तन से मुक्त रखा जाए ।

3.13 झारखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड

दिनांक 16.01.2008 और 20.01.08 को झारखंड जैव विविधता बोर्ड की दो बैठकें की गई जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में लोगों को जागृत करना ।

- जाति जैव विविधता पंजीयन के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ क्षेत्रीय निकाय स्तर पर रखी जाए ।

- संरक्षित क्षेत्र में जाति जैव विविधता पंजीयन के कार्य की पहल करना ।

3.14 उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड

दिनांक 22 मई 2008 को "अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कृषि और जैव विविधता" विषय पर प्रो.आर.वी. सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित की गई । "कृषि जैव विविधता" पर एक स्मारिका भी जारी की गई ।

- उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड की वेबसाइट जारी की गई -

- गोरखपुर में जैव विविधता पार्क की स्थापना का अनुमोदन दिया गया ।

- निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएं मंजूर की गई: www.upsb.org.

(i) लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुष्प विविधता और सब्जियों की प्राचीनता का मानचित्र सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण किया गया ।

(ii) इसाबेला थोबर्न कॉलेज लखनऊ में पुष्प विविधता के वर्गीकरण के लिए बेपन और हूकर प्रणाली के आधार पर जैव विविधता बागानों का विकास करना ।

(iii) नव विकसित कुकरेल जैव विविधता पार्क का आधारिक सर्वेक्षण और सूक्ष्म जैव विविधता का मानचित्रण किया गया ।

➢ प्रकाशन के लिए चार पुस्तकें विचाराधीन हैं ।

➢ उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड ने "इंडोप्पिटेडिनिया ऑधेनसिस बर्नेन" को एक संकटापन्न किस्म के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को संस्तुति की ।

3.15 उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड

- 1.39 जाति जैव विविधता पंजीयन दस्तावेज किए ।
- "असुरक्षित वन्य जीव" और 'तानताना' नामक पुस्तकें प्रकाशित की गई ।
- 28 कार्यशाला / बैठकें उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित की ।

3.16 पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड

प्रो. ए.के. शर्मा, अध्यक्ष और श्री देबाल राय, सदस्य सचिव की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 और अन्य संबंधित अधिनियमों, नियमों और अधिसूचनाओं के कार्यान्वयन का एक और वर्ष सफलता वर्ष पूर्ण किया है।

वर्ष 2008-2009 के दौरान पांच जिलों में छह जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया । केतु ग्राम पंचायत समिति (जिला बर्दवान), जंबोली पं.स.(जिला पश्चिम मेदिनापुर, झालदा II पं.स. (जिला पुरूलिया), करीमपुर-I पं.स. और चकदाह-II पं.स. (जिला - नादिया और सोना मुखी पं.स.(जिला - बंकुरा)

बोर्ड ने जाति जैव विविधता पंजीयन तैयार करने के लिए नबग्राम पं.स. केतुग्राम के अधीन, सोनामुखी के अधीन कोचडिहि पंचायत समिति, सोनामुखी पंचायत समिति के अंतर्गत जा.जै.पं. करीमपुर- I पंचायत समिति के अंतर्गत जमशेदपुर ग्राम पंचायत, चकदाह पं.स. के अंतर्गत सिलिंदा- II ग्राम पंचायत और झालदा पं.स. के अंतर्गत झालदा, दरडा पं.स. के लिए जा.जै.प. की प्रक्रिया पहले से ही प्रगति पर हैं । इनके अलावा भी बोर्ड ने योजनाएं मंजूर की है । विभिन्न विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में और गैर-सरकार संगठनों में बोर्ड का निर्णय है कि विद्यालय कॉलेज, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जाति जैव विविधता पंजीयन में लग जाएं। आठ जिलों को कवर करते हुए पूरे राज्य में 23 इस प्रकार की परियोजनाएं प्रगति पर हैं ।

दिनांक 22 और 23 मई 2008 को परिबेश भवन, साल्ट लेक सिटी. कोलकाता में पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2008 दो दिन तक कार्यक्रम आयोजित करके मनाया । "कृषि और जैव विविधता" जैव विविधता संरक्षण का विषय रखा गया । इस अवसर पर खाने योग्य मशरूम और बंगाल देहात के जंगली स्तरधारियों पर औपचारिक नियम पुस्तिका जारी की गई । जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों और जा.जै.पं. कार्यकर्त्ताओं की उपस्थिति में दो जो.जै.पं. भी इस अवसर पर जारी किए गए । इस अवसर पर बोर्ड की वेबसाइट - www.bbb.gov.in का भी औपचारिक रूप से प्रमोचन किया गया । दूसरे दिन का कार्यक्रम डॉ. ए.के. घोष, सदस्य, जैव विविधता प्राधिकरण की अध्यक्षता में किया गया । जा.जै.पं. एक-एक लघु फिल्म भी दिखाई गई । पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड के अनुभव, उसके बाद राज्य के विभिन्न जिलों के कार्यकर्त्ताओं ने जा.जै.पं. करते समय अनुभवनों के बारे में प्रस्तुति दी ।.

विभिन्न अभिकरणों द्वारा पोस्टर निर्माण करके राज्य के जा.जै.प. के बारे में एक प्रदर्शनी जनता को देखने के लिए की । एक लघु फिल्म "बंगाल की दलदल" — बंगलार पुकार बंगाली में पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड द्वारा निर्मित फिल्म भी दिखाई गई । दिनांक 23मई 2008 को दूसरे दिन "जैव विविधता और कृषि विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । दिन की शुरूआत बोर्ड के प्रकाशन - जैव विविधता इ"मामले और संबंधित" अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2006 के दौरान संगोष्ठी में प्रस्तुत व्याख्यानों की कार्यवाही से हुई । पाँच विषयों पर व्याख्यान दिए गए । "पादप अनुवांशिक संसाधन और संपोषित उत्पादन, "प्रोकार्येटिक सूक्ष्म अनुवांशिकी : अदृश्य बहुमत, चावल विविधता संरक्षण और पशु चिकित्सा का विकास, "भारत में अन्त: मछली पालन की स्थिति", जैव विविधता और पर्यावरण संबंध विषयों पर व्याख्यान विशेषज्ञों द्वारा दिए गए । इसमें विद्यार्थियों, जा.जै.पं. स्वैच्छिक, जै.प्र.स. गै.स.स. के प्रतिनिधि विद्यालय, कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों , प्रख्यात वैज्ञानिक और अधिकारी उपथित थे और दो दिन के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया ।.

अनेकों जागृति कार्यक्रम और जैव विविधता पंजीयन कार्यशाला बोर्ड द्वारा आयोजित की गई । इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान बोर्ड के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया । पूरे पश्चिम बंगाल के प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, विभिन्न कॉलेजों के लिए पांच, तीन विभिन्न जिलों में जा.जै.पं. पर कार्यशालाएं जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गै.स.सं. द्वारा दो और विद्यार्थियों के लिए प्रकृति अध्ययन शिविर लगाया गया ।

दो चेक नागरिकों को वन अधिकारियों ने सिंगलीला जिला दार्जिलींग में काफी मात्रा में कीटों सहित पकडा । यह कार्य जैव विविधता अधिनियम का घोर उल्लंघन है । प्राधिकरण के अनुसार दंड देने का प्रावधान का वर्णन नहीं किया गया था । मामला रा.जै.प्रा. को भेजा गया। वन और पर्यावरण मंत्रालय 17 नवंबर 2008 की अधिसूचना सं. एस.ओ.120(ई) के अनुसार प्रावधान का पता चला । 7 जनवरी 2009 की अधिसूचना द्वारा इसमें संशोधन किया गया और एक अधिकारी पदनामित किया गया । जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 61(ए) के अनुसार शिकायत दर्ज की जा सकती है ।

इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान बोर्ड ने अनेक अनुसंधान क्रियाकलापों को शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से अधिकृत किया । ''पश्चिम बंगाल के पादप डी.एन.ए. बैंक, जोखिम पूर्ण, स्थानकमारी, संकटापन्न किस्में'' बक्सा टाइगर अभ्यरण की जीव-जन्तु विविधता का निर्धारण और प्रलेखन, ''कीट और मकड़ियाँ'' पश्चिम बंगाल के मखरला जोन में सूक्ष्म फुंगी की पारिस्थितिकी और विविधता का अध्ययन'' ''कन्हुआ हावड़ा में पोरकुपिन जनसंख्या की जैविक स्थिति का सर्वेक्षण'' ''पश्चिम बंगाल के प्रदूषित वातावरण स्कम और व्लूम एलगी विविधता का अध्ययन'' और गैर वन मानव निर्मित पारिस्थितिकी प्रणाली में वन्यजीवों की जैव विविधता के भाग का एक अध्ययन, परंपरागत प्रबंधन, संरक्षण आदर्श और परिवर्तनीय स्थिति''

इस अवधि के दौरान प.बं.जै. बोर्ड द्वारा पूर्ण और जारी प्रकाशन / अन्य संस्करण:-

(i) पश्चिम पुरा मौजा (गोघाट II पं.स. जिला हुगली) का जाति जैव विविधता पंजीयन।
(ii) पाथर प्रतिमा ग्रा.पं.(7 मौजास) पाथर प्रतिमा पंचायत समिति जिला 24 परगना दक्षिण) की जाति जैव विविधता पंजीयन ।
(iii) बंगाल में ''खाद्य मशरूम'' पर क्षेत्र पहचान पुस्तिका ।
(iv) बंगाल में ''ग्रामीण बंगाल के सामान्य जंगली स्तनधारी'' प्र क्षेत्र पहचान पुस्तिका
(v) अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर दिए गए व्याख्यानों की कार्यवाही ३ ''जैव विविधता - मामलों और संबंध''
(vi) प.बं.जै.बो. द्वारा निर्मित (बंगाली में) बंगलार पुकार ३बंगला की दलदलों पर लघु फिल्म दिखाई गई ।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान बोर्ड की दो बैठकें आयोजित की गई (क्रमश: दिनांक 13वीं और 14वीं, 4 जुलाई और 18 जुलाई 2008) इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

- कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, जागृति कार्यक्रमों नियम पुस्तिकाओं का प्रकाशन, इश्तहार, बैन्नर, पोस्टर और प्रसि पुस्तकों के माध्यम से जागृति निर्माणऔर संवेदनशील कार्यक्रमों पर जोर देना ।

- रा.जै.प्रा. के निर्देशानुसार जा.जै.पं. क्रियाकलापों की पील करना और राज्य के प्रत्येक जिले में 3 से 5 जैव प्रबंधन समितियों के गठन ।

- बोर्ड यह ध्यान रखेगा कि जा.जै.प. की राज्य में गतिविधियाँ वास्तविक भावना से होनी चाहिए और जा.जै.पं. का तरीका नहीं बदलेगा ।

- बेनेस्वर तालाब के संरक्षण के लिए (जिला कूच बिहार) सामुदायिक आरक्षक के रूप में पत्रिका शुरू करनी है औरे चिल्कीगढ़ (जिला पश्चिम मेदिनापुर) के वन खण्ड को पवित्र उपवन घोषित किया जाए ।

- वाणिज्यिक उद्-ेश्यों के लिए जैव संसासधनों का प्रयोग करने वाले आवेदनकों को पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियत्रण बोर्ड से ''स्थापना की सहमति'' प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड से सहमति लेने का अनुरोध करने का निर्णय ।

- पश्चिम बंगाल जैव विविधता धिनियम 2002 की धारा 231 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को आधार पर पश्चिम बंगाल जैव विविधता नियम संशोधन में ''राज्य के जैव संसाधनों के प्रयोग की अनुसंधन क्रियाओं को व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा राज्य के बोर्ड को सूचित करना होगा ।

- पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड के मसौदे का अनुमोदन (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम 2009 और दिनांक 4 मार्च 2009 की राजपत्र अधिसूचना के साथ-साथ पत्रांक 118/1 ई (जैव)-1/2008 के द्वारा दिया गया ।

- पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड की जनशक्ति बढ्ने के लिए बोर्ड ने प्रस्ताव रखा और 15 नए पदों की वित्तीय मंजूरी प्राप्त हुई ।

- संबंधित क्षेत्रों की जा.जै.पं. में सिफारिशों पर जोर देने के जिए जैव प्रबंधन समितियों को सहयोग कार्य आधारित होना चाहिए । क्षेत्रीय जैव विविधता निधि के सृजन के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सहायता के मामले में प्रस्ताव रखा गया।

परिशिष्ट - 1 प्राधिकरण के सदस्य

जैव विविधता प्राधिकरण की धारा 8 की उपधारा 4 के अंतर्गत प्राधिकरण के वर्तमान सदस्यों की नियुक्ति की गई:

अध्यक्ष: डॉ. पी.एल. गौतम, अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नै (सं.12, भाग-I खण्ड-2 साप्ताहिक भारत के राजपत्र नई दिल्ली, मार्च 21-27, 2009 के पृष्ठ 291)

पदेन सदस्य दिनांक (17 जुलाई 2008 के पत्र सं.-28-16/2008-CS-II MOEF)

क्र.सं.	पदेन सदस्य	के द्वारा प्रतिनिधित्व
1.	भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय में संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष स्तर का अधिकारी	श्री ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक, जनजाति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2.	भारत सरकार, वन और पर्यावरण मंत्रालय के अपर महानिदेशक (वन)	श्री एम.बी.लाल भा.प्र.से. अपर महानिदेशक (वन)वन और पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
3.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव जो इस विषय को वन और पार्यावरण मंत्रालय में देखता हो ।	श्री ए.के. गोयल, भा.प्र.से.संयुक्त सचिव (के.से.) वन और पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
4.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी जो कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा के विषय को देखता हो ।	डॉ.पी.एल. गौतम (17 जुलाई- 31 दिसंबर 2009) डॉ. एस.पी. तिवारी (1 जनवरी - 17 जून 2009)/डॉ. एस.के. दत्ता(18 जून 09 - अब तक)उप महानिदेशक (फसल विज्ञान)भा.कृ.अ.परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी जो जैव तकनीकी विभाग में इस विषय को निपटाते हों ।	डॉ. रेणू स्वरूप, परामर्श दता, जैव तकनीकी विभाग, के.का. परिसर नई दिल्ली
6.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी जो समुद्र विकास विभाग में इस विषय को देखते हों ।	श्री पी. मदेश्वरन,निदेशक, भू- विज्ञान मंत्रालय, लोधी मार्ग, नई दिल्ली ।
7.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या इसके समतुल्य अधिकारी जो कृषि एवं सहकारी विभाग के विषय को देख रहे हैं ।	श्री पांकज कुमार, संयुक्त सचिव (पाादप संरक्षण) कृषि एवं सहकारी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
8.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या इसके स मकक्ष अधिकारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग में इस विषय को देख रहे हों ।	श्री बी.एस. सजवान भा.प्र.से.,मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड चन्द्रलोक भवन, नई दिल्ली
9.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी जो विज्ञान और तकनीकी विभाग में इस विषय को देख रहे हों ।	डॉ. बी. हरिगोपाल,परामर्शदाता, विज्ञान और तकनीकी विभाग, तकनीकी भवन, नई दिल्ली
10.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी जो विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग में इस विषय को निपटा रहे हों ।	डॉ. नरेश कुमार, प्रधान,अ.एवं वि. योजना प्रभाग, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रफी मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक **22** फरवरी **2007** को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं-एस.ओ.-**262** (ई) के अनुसार गैर सरकारी सदस्य :

1. प्रो. राघवेन्द्र गडगकर
   जैविक विज्ञान केन्द्र
   भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर ़ 560 012.

2. प्रो. अनिल गुप्ता
   भारतीय प्रबंधन संस्थान,
   वस्त्रपुर, अहमदाबाद - 380015
   गुजरात

3. डॉ. ए.के. घोष
   निदेशक, पर्यावरण व विकास केंद्र
   329, जोधपुर पार्क,
   कोलकाता - 700068

4. डॉ. एस. सुब्रमणियन
   54, वी.जी.पी.सी. व्यू,
   पार्ट - II., 2 मेन रोड, 5 वाँ क्रास स्ट्रीट
   पालवाक्कम, चेन्नै - 600 041

5. प्रो. कदिरेसन
   प्राध्यापक
   समुद्रीय जीव विज्ञान विज्ञान में उच्च अध्ययन केंद्र
   अण्णा मलै विश्वविद्यालय
   परंगापेट्टई - 608502
   तमिलनाडु

सचिव:-

1. डॉ. के. वेंकटरामन (11 मार्च, 2009 तक)
2. श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी (12 मार्च, 2009 से पदासीन)

गैर सरकारी सदस्यों द्वारा जैव विविधता से संबंधित सम्मलेन वक्तव्य/ संगोष्ठी कार्यशाला में भागीदारी/ प्रदर्शन:-

डॉ. ए.के. घोष, सदस्य, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ।

मई 2008 - पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड - सत्र के अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस “जाति जैव विविधता पंजीयन क्रिया-कलापों सहित अनुभव की हिस्सेदारी”

जून 2008 - बी.आई.टी. एम. कोलकाता में सामूहिक कार्य और प्रतिबिंबित समिति -“वैश्विक तापमान और जैव विविधता” पर व्याख्यान

जून 2008 - जे.बी.एन.एस.टी.एस. वरिष्ठ विद्वान सभा, कोलकाता - ''हम और हमारा पर्यावरण'' पर व्याख्यान

जून 2008 - कार्य एवं शिक्षा विकास संस्थान (का.शि.वि.सं.) ललित कला अकादमी कोलकाता में - ''वैश्विक उष्णता, भोजन, पानी, स्वच्छता संबंधी भविष्य की चुनौती'' पर व्याख्यान

जुलाई 2008 - भारतीय प्रणि विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता -''जलवायु परिवर्तन और संपोषण '' पर व्याख्यान

अगस्त 2008 - आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय पॉलिटेक्निक, कोलकाता - ''वैश्विक तापमान और जैव विविधता '' पर व्याख्यान

अगस्त 2008 - सी.एम.जेड धामरवाली, नॉर्थ परगना में पर्यावरण शिक्षा केंद्रतट-क्षेत्र प्रबंधन पर आधार वक्ता के रूप में ।

अगस्त 2008 - राज्य वन्यजीव परामर्श बोर्ड, कोलकाता - सदस्य के रूप में घटी बैठक में भाग लिया

अगस्त 2008 - यू.एफ.ई.पी. जी.ई. एफ. परियोजना पर पार्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली में बैठक -''आमंत्रित विशेषज्ञ विचारों के आदान-प्रदान के लिए विचार - विमर्श''

सितम्बर 2008 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय शांतिनिकेतन - ''भारत के पुण्य उपवनों'' पर व्याख्यान

सितम्बर 2008 - शहरी अर्थशास्त्र अध्ययन केंद्र, कोलकाता विश्वविद्यालय - ''शहरी पर्यावरण प्रबंधन: शहरी जैव विविधता''पर व्याख्यान

सितम्बर 2008 - विप्रो, कोलकाता - ''पारिस्थितिकी दृष्टि'' पर उदघाटन समारोह के मुख्य अतिथि

सितम्बर 2008 - राज्य वन विभाग पश्चिम बंगाल - मानव - हाथी संघर्ष के प्रबंध के सत्र अध्यक्ष

अक्तूबर 2008 - केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड, त्रिवेंद्रम (केरल) जैव विविधता नियम और अधिनियम पर बैठक में विचार विमर्श

नवंबर 2008 - भूगोल विभाग कोलकाता विश्वविधालय - ''संसाधन मूल्य एवं पर्यावरण चुनौतियाँ''

नवंबर 2008 - राष्ट्रीय सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद एवं मादक द्रव्य अकादमी (नासेन) कोलकाता ''अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी एवं राष्ट्रीय दायित्व'' पर व्याख्यान

दिसंबर 2008 - फसल अनुसंधान संस्थान, कोलकाता - ''विज्ञान और आधुनिक भारत में पर्यावरण'' विषय पर व्याख्यान

फरवरी 2009 - सेराम्पोर कॉलेज, जैव विविधता पर राष्ट्रीय सम्मेलन, सेराम्पोर, जिला हुगली पश्चिम बंगाल - ''भारत में जैव विविधता संरक्षण'' पर व्याख्यान

फरवरी 2009 - प्रेसीडेंसी कॉलेज कोलकाता - ''पर्यावरण और जैव विविधता'' पर व्याख्यान

मार्च 2009 - व्यापार प्रबंधन विभाग कोलकाता विश्वविद्यालय - ''पर्यावरण प्रबंधन में समसामयिक विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन'' में आधारिक सम्बोधन

मार्च 2009 - जाधवपुर विश्वविद्यालय में डब्ल्यू.डब्ल्यू. एफ. -I सुन्दरबन की जलवायु परिवर्तन पर कार्यशाला - ''जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता'' पर आधारिक सम्बोधन:

टिप्पणी: इनके अतिरिक्त डॉ. ए.के. घोष ने "पर्यावरण और मानव अधिकार" विषय पर कोलकाता विश्वविद्यालय के मानव अधिकार पाठ्यक्रम के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए अनेक बार व्याख्यान दिए, जाधवपुर विश्वविद्यालय, पर्यावरण अध्ययन विद्यालय के एम.फिल के विद्यार्थियों को भी "पर्यावरण मामलों" सहित "जैव विविधता संरक्षण" विषय पर भी अतिथि प्राध्यापक के रूप में अनेक बार व्याख्यान दिए, डॉ. घोष ने "स्टेटसमैन प्रिंट जनलिज्म स्कूल" में अतिथि प्राध्यापक के रूप में "पर्यावरण संरक्षण" - नीति, विधि और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की भूमिका को भी इनमें शामिल किया ।

जैव विविधता संरक्षण पर प्रकाशन: घोष ए.के. 2008 जैव विविधता पर एक वृहत प्रुस्तिका, टेरी प्रेस, नई दिल्ली, प्र.पू - 1-130

घोष ए.के. 2008, भारत के वन्य संसाधन पृष्ठ 16-24, जैव विविधता मामले और संबंध "पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड ।

घोष ए.के. 2008, पर्यावरण संरक्षण: चुनौतियाँ और कार्रवाई । ए.पी. एच. नई दिल्ली 250 पृष्ठ (जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के अध्यायों सहित)पृष्ठ 61-69, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में जैव विविधता दृश्यलेखों का भविष्य पृष्ठ 70-83, पुण्य उपवन, पृ. - 84-91 आक्रामक किस्में, पृष्ठ - 90 -111

2. प्रो. राघवेंद्र गडगकर

1. व्याख्यान अधिकृत आमंत्रित "टेस्टिंग हेमिल्टन्स रूल यूजिंग द प्राइमिरियली इयोसोसल वास्प रोपालिडिया मार्जिनटा" और "उष्णकटिंबंधीय कीट समाज का प्रयोजन मूलक संगठन" विषय पर कीट विज्ञान विभाग, आहियो स्टेट विश्वविद्यालय यू.एस.ए. में 23 अप्रैल 2008 को व्याख्यान दिया।

2. उष्णकटिबंधीय कीट समाज का प्रयोजन मूलक संगठन" विषय पर कीट विज्ञान 2008 की 23 अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में 10 जुलाई 2008 को डर्बन दक्षिण अमेरिका में पूर्ण अधिकृत व्याख्यान दिया ।

3. "कीट समाज से हम क्या सीख सकते हैं" विषय पर प्रिटोरिया विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका में जुलाई 2008 को शातिक अधिकृत व्याख्यान दिया ।

4. "टेस्टिंग हेमिल्टन रूल यूसिंग द प्रिमिटीवली इयोसोसल वास्प रोपलिडिया माजिनटा" विषय पर आनुवंशिक विभाग, प्रिटोरिया विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका में दिनांक 14 जुलाई 2008 को आमंत्रित अधिकृत व्याख्यान दिया ।

5. "प्रिमिटिवली इयोसोसल वास्प रोपलिडिया माजिनटा में क्रोध के संभावित क्रियाकलाप" विषय पर दिनांक 16 जलाई 2008 को प्राणिविज्ञान और कीट विज्ञान विभाग, प्रिटोरिया विश्वविद्यालय दक्षिण अफ्रीका में आमंत्रित अधिकृत व्याख्यान दिया ।

6. "उष्ण कटिबंधीय कीट-समाज का प्रयोजन मूलक संगठन" विषय पर जैव विज्ञान की कोरियाई समिति के 63वें सम्मेलन में दिनांक 20-22 अगस्त 2008 को माकपो विश्वविद्यालय कोरिया में पूर्ण अधिकृत व्याख्यान दिया ।

7. "उष्णकटिबंधीय कीट समाज का क्रमिक विकास" विषय पर दिनांक 22 अगस्त 2008 को सियोल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, कोरिया में आमंत्रित अधिकृत व्याख्यान दिया ।

8. "युद्ध और शांति" उष्णकटिबंधीय कीट समाज में संघर्ष एवं सहयोग विषय पर दिनांक 11 सितंबर 2008 को क्रान्स मोन्टाना स्वीटजरलैण्ड में आमंत्रित अधिकृत व्याख्यान दिया ।

9. "कीट समाज के बारे में प्रश्न चिन्ह" विषय पर दिनांक 23 नवम्बर 2008 को विससे फटकोलेज जु बर्लिन, जर्मनी में आमंत्रित समाज में व्याख्यान दिया ।

10. "क्या मोर केवल सुन्दर है या ईमानदार भी है?" विषय पर दिनांक 13 फरवरी 2009 को केरल शास्त्र साहित्य परिषद में अधिकृत डार्विन द्विशताब्दीय व्याख्यान दिया ।

परिशिष्ट - 2 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की संगठन तालिका

Organisational Chart of National Biodiversity Authority

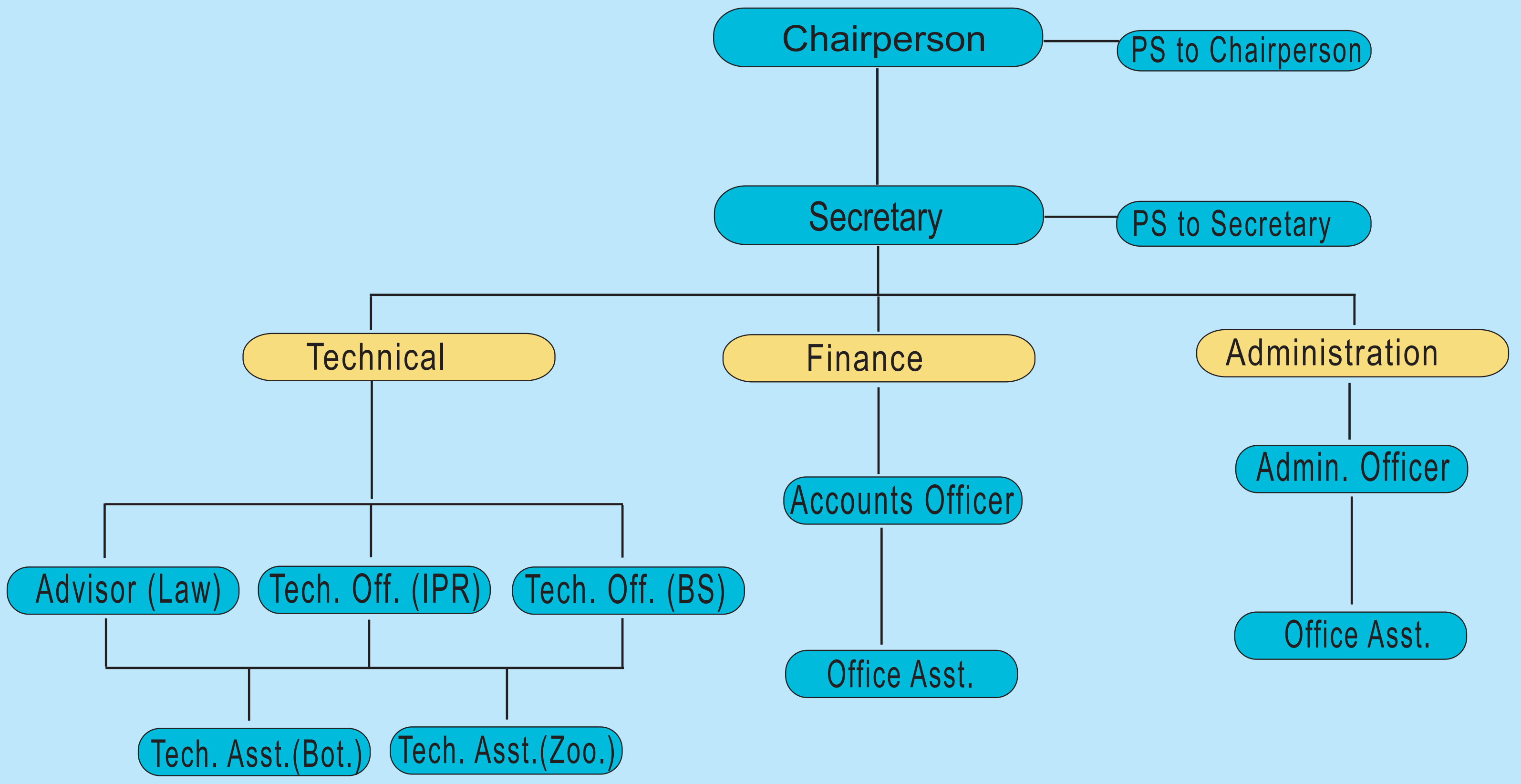

Besides the above Officers and staff, the NBA is supported by the Consultants to assist in technical matters as per Rule 12 (6). The role of consultant is more or less similar to 'Amicus Curiae' in the Court of Law.

परिशिष्ट -3 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्टाफ संख्या

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टिप्पणी
अध्यक्ष	1	1	-	
सचिव	1	1	-	
अध्यक्ष के निजी सचिव	1	-	1	
सचिव के निजी सचिव	1	-	1	
प्रशासनिक अधिकारी	1	1	-	
लेखा अधिकारी	1	1	-	
तकनीकी अधिकारी बौ.स.अ-1 फा.भा.अ -1	2	1	1	पदधारी द्वारा त्याग पत्र देने के बाद यह पद तीसरी बाद विज्ञप्ति किया गया है ।
सलाहकार (विधि)	1	1	-	
कार्यालय/कंप्यूटर सहायक	2	2	-	
तकनीकी सहायक	2	2	-	
आशुलिपिक -सी	1	1	-	
आशुलिपिक -डी	1		1	प्रतिनियुक्ति पर अभ्यर्थी न मिलने पर विज्ञापित की जानी है
चपरासी	1	1	-	दो बाहरी व्यक्ति काम कर रहे हैं
योग	**16**	**12**	**04**	

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों तथा स्टाफ की सूची

सं.	व्यक्ति	पदनाम
1.	डा. पी.एल. गौतम	अध्यक्ष
2.	श्री सी. अचलेंद्र रेड्डी	सचिव
3.	डॉ. के. वेंकटरामन	वरिष्ठ सलाहकार (भा. प्रा. वि. से उधार आधार पर)
4.	श्रीमती एस. पदमावती	प्रशासनिक अधिकारी
5.	श्रीमती लक्ष्मी शंकररामन	लेखा अधिकारी
6.	श्री चित्ररसु	सलाहकार (विधि)
7.	डॉ. के.पी. रघुराम	तकनीकी अधिकारी (हितलाभ सहभागिता)
8.	श्री पी. आनन्द कुमार	तकनीकी अधिकारी (पादप विज्ञान)
9.	श्री पी. जयशंकर	तकनकीकी अधिकारी (प्राणी शास्त्र)
10.	श्री डी. चेरियन	कार्यालय/ कंप्यूटर सहायक
11.	श्रीमती एस. कांचना	कार्यालय/ कंप्यूटर सहायक
12.	श्रीमती जी.एस. क्षीबा	आशुलिपिक ग्रेड सी
13.	श्री सुरेंद्र राम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

राज्य जैव विविधता बोर्डों के अध्यक्ष व सचिव

सं.	राज्य	अध्यक्ष	सचिव
1.	आंध्र प्रदेश	डॉ. हंपय्या रलडोड्डी	डॉ. भास्कर रामन मूर्ति
2.	अरूणाचल प्रदेश	श्री तबोम बाय	श्री जी. एन. सिन्हा
3.	छत्तीसढ़	श्री विक्रम उसैन्दी	श्री एन.के. भगत
4.	गोवा	श्री अलेक्सियो सकेरिया	डॉ. जोसेफ एस.आर. डिसूजा
5.	गुजरात	श्री डी राजगोपालन	श्री एन.एस. यादव
6.	हरियाणा	माननीय वन मंत्री	श्री विजय वर्धन
7.	हिमाचल प्रदेश	श्रीमती आशा स्वरूप	डॉ. नगीन नन्दा
8.	झारखंड	प्र.मु.व.सं. (जैव विविधता)	श्री एस.के. शर्मा
9.	कर्नाटक	प्रधान सचिव, वन पारिस्थिकीय एवं पर्यावरण विभाग	श्री रमेश सी प्रजापति
10.	केरल	डा. वी.एस. विजयन	—
11.	मध्य प्रदेश	श्री राकेश साहनी	श्री ए.के.जैन
12.	मणिपुर	श्री राकेश	श्री बालाप्रसाद
13.	मिजोरम	श्री एच. रोहलुना	श्री एल.आर.टेगा
14.	नागालैण्ड	माननीय वन मंत्री	श्री एलवर्ट सोलो
15	पंजाब	श्री प्रकाश सिंह बादल	डॉ. नीलिमा जेरात
16	सिक्किम	डॉ. पवन चामलिंग	श्री एन.टी. भूतिया
17.	तमिलनाडु	श्री एन. सेल्वराज	श्री आर. गुणसेकरन
18.	त्रिपुरा	सचिव / आयुक्त वन विभाग	डॉ. ए.के गुप्ता
19.	उत्तराखंड	माननीय वन मंत्री	श्री ए.आर. सिन्हा
20.	उत्तर प्रदेश	श्री परमेश्वर अय्यर	श्री पवन कुमार
21.	पश्चिम बंगाल	प्रो. अरूण कुमार शर्मा	श्री डेबाल राय

परिशिष्ट - 4 रा. जै. प्रा. के महत्वपूर्ण प्रकाशन

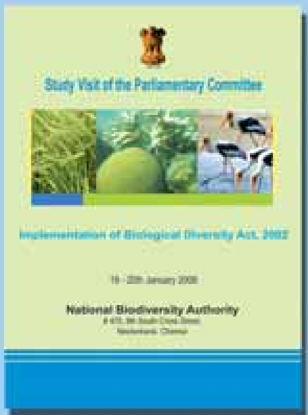

दिनांक 19-20 जनवरी 2009 को संसदीय समिति के आगमन के अध्ययन के लिए रिपोर्ट

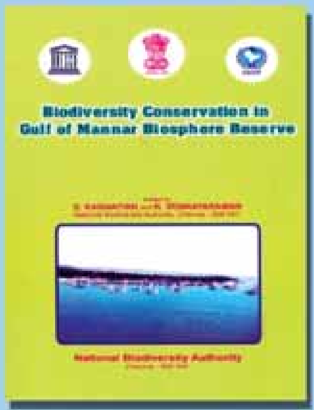

"मन्नार की खाड़ी का आरक्षी जैव स्थल : जैव विविधता संरक्षण के लिए रोजी और संपोषण में पारिस्थिकीय मॉडल" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन की कार्यवाही

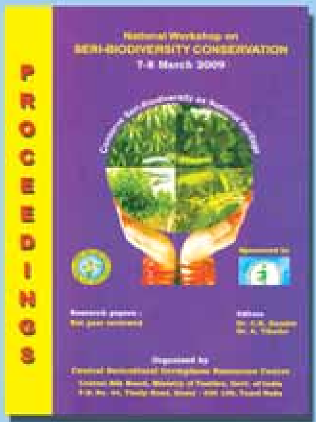

"राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सेरी जैव विविधता का संरक्षण" विषय पर दिनांक 7-8 मार्च 2009 तक सेरी जैव विविधता संरक्षण पर हुई राष्ट्रीय कार्यशाला का सार और कार्यवाही

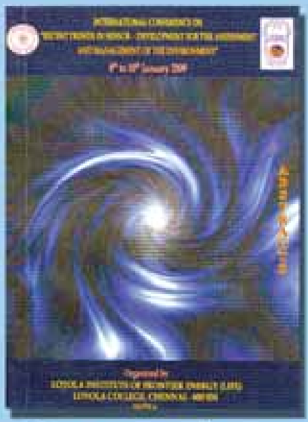

पर्यावरण के विकास के लिए मूल्यांकन और प्रबंधन पर संवेदन में आधुनिक प्रकृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही

परिशिष्ट - 5 प्रशिक्षण/ संगोष्ठी/ कार्यशालाओं इत्यादि के लिए सहयोग दिया

सं.	संस्था	विषय-वस्तु
1.	लोयला कालेज चेन्नै	दिनांक 19 से 22 मार्च 2008 तक "जैव विविधता और कृषि जैव विविधता संरक्षण मेला"
2.	एम.एस.एस.आर.एफ. तारामणि, चेन्नै	वर्ष 2008-2009 के लिए जैव विविधता एवं कृषक अधिकार संबंध विधि निर्माण की क्षमता
3.	आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड	दिनांक 23-8-2008 को जैविक चोरी और बौद्धिक संपदा अधिकार, जैव विविधता के लिए क्षमता निर्माण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई
4.	भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, दक्षिण परिमंडल	दिनांक 11 व 12 सितंबर 2008 को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 38 के कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञों के साथ संकटाधीन पादप किस्मों की राज्यवार अंतिक रूप देने के लिए विचार-विमर्श
5.	कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड	कर्नाटक में वर्ष 2008 में जैव विविधता का शोषण करने वाले उद्योगों की सूची बनाना
6.	आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड	वर्ष 2008 में आंध्र प्रदेशक में जैव विविधता का शोषण करने वाले उद्योगों की सूची बनाना
7.	पश्चिम बंगाल	वर्ष 2008 के छः महीनों में पश्चिम बंगाल में जैव विविधता का शोषण करने वाले उद्योगों की सूची बनाना
8.	विज्ञान एवं तकनीकी के लिए पंजाब राज्य परिषद	वर्ष 2008 - 09 में पंजाब में जैव विविधता का शोषण करने वाले उद्योगों की सूची बनाना
9.	कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड	दिनांक 02-03-09 को कर्नाटक के जैव विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान पर कार्यशाला का आयोजन
10.	मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड	वर्ष 2008 के छः महीनों में मध्य प्रदेश में जैविक प्रसाधनों की मात्रा और मध्य प्रदेश राज्य में जैविक संसाधनों पर आधारित उद्योगों का प्रलेखन ।
11.	केंद्रीय रेशम-उत्पादन जीवाणु संसाधन केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड, होसूर तमिलनाडु	दिनांक 7 एवं 8 मार्च 2009 को "रेशम जैव विविधता संरक्षण" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला
12.	लोयला कालेज, चेन्नै	8 से 10 जनवरी 2009 तक पर्यावरण के विकास के लिए मूल्यांकन और प्रबंधन संवेदन में आधुनिक प्रवृति
13.	पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास के लिए ट्रस्ट (ट्री) चेन्नै	20 व 21 जनवरी 2009 को जैव विविधता के संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को व्यक्तिगत योजना बनाने के लिए शिखर सम्मेलन
14.	राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल	"वर्तमान एवं भूत से शिक्षा लेते हुए प्राणी जैव विविधता" पर दिनांक 12 व 13 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय संगोष्ठी की गई
15.	भरतियार विश्वविद्यालय कोयम्बतूर	दिनांक 9 से 12 फरवरी 2009 तक "कीटों की जैव विविधता : प्रबंधन और संरक्षण" पर वैश्विक उष्णता की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की ।
16.	कृषि विज्ञान की तरक्की के लिए ट्रस्ट (टास) नई दिल्ली	दिनांक 10-04-2009 को "भारत में फार्म पशु अनुवांशिकी संसाधनों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को विचार विमर्श करने के लिए उन्मादी कार्यशाला" आयोजित की गई।
17.	लोयला कालेज, चेन्नै	दिनांक 10 से 13 मार्च 09 तक अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, इलेक्ट्रानिक अनुसंधान औजार और जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव तकनीकी औजारों के आधुनिक दृष्टिकोण रखना ।
18.	मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी, मुंबई	दिनांक 22-02-09 को "पाइंट केलीमर, रामसर स्थल: भूत, वर्तमान और भविष्य के संरक्षण और प्रबंधन" के बारे में
19.	कल्पवृक्ष पर्यावरण सक्सन समूह, पुणे	भारत में सामुदायिक संरक्षण की निर्देशिका का प्रकाशन

परिशिष्ट - 6 रा.जै.प्राधिकरण नागरिकों का चार्ट

1. दृष्टि

भारत की समृद्ध जैविक विविधता जीवित रखते हुए संरक्षण एवं जनता की साझीदारी सहित ज्ञान को जोड़कर वर्तमान एवं अगली पीढ़ियों के भलाई के लिए लाभान्वित हिस्से की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें ।

2. मिशन

जैविक विविधता अधिनियम 2002 एवं जैविक विविधता यिमावली 2004 प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना सुनिश्चित करें ताकि इसके घटक अच्छे उचित मात्रा में अनुवांशिक स्रोत से प्रयोग करते हुए मिल सके ।

3. आदेश

भारतीय जैविक स्रोत सार्वभौम अधिकार को सुनिश्चित करें एवं जैविक स्रोत अथवा सहयोगी तत्वों के दुर्नियोजन पर निवारण करने हेतु सहयोग करें । संरक्षण से संबंधित नीति तैयार करें एवं जैविक स्रोत का उपयोग करते हुए घटकों को जीवित रखकर इसका उचित मात्रा में लाभ मिल सके ।

जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार सूत्रीकरण के मार्गदर्शन द्वारा गतिविधियां चलाएं जैविक स्रोत के लिए अधिक मात्रा में सामग्री दें एवं पणधारों के पास पहुंचने एवं उचित मात्रा में इसका लाभ मिलना सुनिश्चित करें । भारत मं कोई जैविक स्रोत अथवा उससे संबंधित, जैसे - भारतीय मूल के जैविक स्रोत पर अन्य देशों के व्यक्तियों पर बौद्धिक संपदा अधिकार द्वारा विरोध करने का उपाय करती है ।

राज्य सरकार उनके जैव विविधता विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित को सलाह दी जाती है और धरोहर स्थलों को अधिसूचित करें और यह भी सुझाव दें कि उनके प्रबंधन का उपाय एवं जीवितोयोगी प्रयोग । उनके विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन जो क्षेत्र आता है उन्हें जैव विविधता प्रबंधन समिति (जै.प्र.स.) के द्वारा जनता जैविक विविधता रजिस्टर (पी.बी.आर.) तैयार करके मार्गदर्शन तकनीकी एवं निर्माण समर्थन दें)

जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकतानुसार ऐसे अन्य समारोहों का आयोजन करें ।

4. स्टेक होल्डर्स - पणधारी

जैव विविधता एक बहु अनुशासनिक विषय है जिसके अंतर्गत विविधियां पहल एवं पणधारी आते हैं । स्टेक होल्डर्स के जैविक विविधत के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार संघ शासित प्रदेश पंचायत राज के संस्थान, सिविल सोसायटी संगठन, उद्योग, गैर-सरकारी संगठन, अनुसंधान एवं विकास सस्थान, विश्वविद्यालय एवं जनता ।

5. प्रदान की गई सेवाएं:

संरक्षण को प्रो-उन्नत करना एवं जैव विविधता का जीवितोउपयोगी बनाना।

राज्य जैव विविधता बोर्ड का समन्वयन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति, प्रायोजित अध्ययन एवं अनुकूली / प्रचालन जांच एवं अनुसंधान द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन उपलबध कराना एवं जो आवश्यक पाया गया आयोग का अध्ययन । जैव विविधता संरक्षण से संबंधित मामलों पर भारत सरकार की सलाह, जीवितो उपयोग एवं उनके घटक एवं जैविक स्रोत का लाभ का उचित मात्रा में हिस्सा ।

भारत में जैविक स्रोत अधिक मात्रा में पाया जाना अथवा उससे संबंधित अनुसंधान का परिवर्तित परिणाम, बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करना, अनुसंधान हेतु अधिक मात्रा में जैविक स्रोत का अन्य पार्टी को परिवर्तित करना अथवा वाणिज्यिक उपयोग हेतु अथवा जैव सर्वेक्षण एवं जैव उपयोगिता हेतु।

सभी पणधारियों को जैव स्रोत के द्वारा अधिक मात्रा में देती है जिसका उचित मात्रा में हिस्सा लाभ स्टेक होल्डर्स एवं उपयोग कर्ता हो । जैव विविधता संरक्षण पारदर्शी रूप में हो ।

6. शिकायत रिड्रसल यांत्रिकी:

सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में रिड्रेसल पब्लिक शिकायत, पदनाम का अधिकारी होता है और उनका पता इस प्रकार है :-

सचिव
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
टायसेल, बायोपार्क , 5वाँ तल, तारामणि रोड
तारामणि, चेन्नै - 600 113
फोन: 044-2254 1071
फैक्स: 044-2254 1074
ईमेल - secretary@nbaindia.in

7. नागरिकों एवं पणधारियों से अपेक्षा

जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों एवं उनके अधीन बनाए गए नियम को मान लिया जाए तो और आत्मसात करके संरक्षण की भावना से प्रो-उन्नत करके प्राकृतिक स्रोत एवं प्राकृतिक विधान का मान लिया जाए एवं रा.जैविक प्राधिकरण एवं एस.बी.बी. द्वारा चला जा रही गतिविधियों को सहयोग प्रदान करने से समस्त मानव जाति की रक्षा की जा सकती है ।

परिशिष्ट - 7 लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2009 को समाप्त राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नै के लेखा पर भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2009 तक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नै की लेखा परीक्षा की जो तुलनपत्र संलग्न हैं और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियाँ एवं वर्ष के अंत तक किया गया लेखा भुगतान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के धारा 19(2) के अधीन किया गया । जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 29 सहित पढ़ें । इन वित्तीय विवरणों को देना प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी यह जिम्मेदारी है कि लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है ।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) लेखा में सुधार हेतु एक अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट टिप्पणी तैयार करती है जिसका संबंध वर्गीकरण, अच्छे लेखा पद्धति की पुष्टि, लेखा गणना स्तर एवं प्रकटीकरण के मानक आदि । वित्तीय व्यवहार लेखा परीक्षा का अनुपालन सह विधि, नियमावली एवं नियमन (संपत्ति एवं नियमितता) एवं क्षमता सह निष्पादन पहलुओं आदि पर लेखा परीक्षा ने अवलोकन किया । यदि किसी को रिपोर्ट करनी है तो निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा / सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अलग से भेजें।

3. हमने जो लेखा परीक्षा की है, वह लेखा परीक्षा के मानक स्तर के अनुसार है जो भारत में मान्य है । इन मानकों की आवश्यकता है कि हम योजना एवं निष्पादन उचित आश्वासन प्राप्ति के बाबत सामग्री गलत विवरण से क्या वित्तीय विवरण मुक्त है । एक लेखा परीक्षा के अंतर्गत परीक्षण, परीक्षण तौर पर, राशि को समर्पित साक्ष्य एवं वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण एक लेखा परीक्षा में यह भी सम्मिलित किया जाता है कि गणना के तत्वों का मूल्यांकन का प्रयोग करते हुए प्रबंधन द्वारा सार्थक प्राक्कलन किया जाता है । साथ ही साथ वित्तीय विवरण को मूल्यांकन करके समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा उचित आधार पर अपना अभिमत देती है ।

4. हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित रिपोर्ट हम देते हैं कि इ

(I) हमारी लेखा परीक्षा के लिए जो आवश्यक थी वह सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। हमारी लेखा परीक्षा के लिए जो जानकारी आवश्यक थी वह सभी जानकारी एवं सूचनाएं प्राप्त की है जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ली है ।

(II) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तुलना पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा/ प्राप्पियां एवं भुगतान लेखा सहित भरकर रिपोर्ट द्वारा भेजी जाती है ।

(III) हमारे अभिमत से, जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 29 के अधीन यथावश्यक लेखा संबंधी पुस्तकें एवं अन्य संगत रिकार्ड राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा रख-रखाव किया है जो जांच करते समय ऐसे पुस्तकों से पाया गया ।

(IV) हमारी आगे की रिपोर्ट यह है कि

(क) लेखा विधि नीति :

सार्थक लेखा विधि नीति के मद सं. 6 में दिया गया है कि सीधी लाइन पद्धतियों में उल्लेख किया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 (आ.क.) के अनुसार आयकर की दरें निर्धारित हैं जैसा कि रिटन डाउन मूल्य पद्धति (डब्ल्यू.डी.वी.) मूल्य-ह्नास लिखा जाता है, कुछ हद तक लेखा नीति में कमी पायी गई ।

(ख) अनुदान सहायता:

अनुदान प्राप्त राशि रु.3.10 करोड़ में से (रु.2.86 करोड़ ही खर्च किया गया एवं पिछले वित्तीय साल 2007- 08 से रु. 0.24 करोड़ राशि को बिना खर्च पुनर्वैधिकरण किया गया) जो इस साल प्राप्त हुई है, संगठन ने रु.2.81 करोड़ ही खर्च कर पाया । शेष धनराशि रु.0.29 करोड़ राशि 31 मार्च 2009 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में थी ।

(ग) प्रबंधन पत्र:

लेखा रिपोर्ट में कमियों को सम्मिलित नहीं किया एवं सुधारक उपाय/ कार्रवाई हेतु अलग से प्रबंधन पत्र द्वारा रा.जै.प्रा. को नोटिस जारी किया गया है ।

(V) कार्यवाही अनुच्छेदों में प्रेक्षण के आधार पर हमने रिपोर्ट दी है कि तुलनपत्र एवं आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा से संबंधित रिपोर्ट लेख बही के साथ सहमत हैं ।

(VI) हमारे अभिमत से एवं अच्छी जानकारी के अनुसार जो स्पष्टीकरण हम दिए हैं उक्त वित्तीय विवरण के साथ पढ़ें जिसके साथ लेखा नीति एवं लेखापर टिप्पणियां एवं सार्थक मामलों का ऊपर उल्लेख किया गया है एवं अन्य मामलों का परिशिष्ट - I में उल्लेख किया गया है । इस लेखा परीक्षा से सही रिपोर्ट देना एवं भारत में स्वीकृत सामान्यत: लेखा सिद्धांतों सहित अच्छे विचारों की पुष्टि करना है।

(क) जहां तक इसका संबंध तुलनपत्र से है, जिसका कार्य राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नै में 31 मार्च 2008 तक रहा ।

(ख) जहां तक इसका संबंध आय एवं व्यय लेखा से है, वर्ष के अंत तिथि तक अतिरिक्त है ।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 28.10.2009

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षक
वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली

परिशिष्ट - I से लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(1) आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति की पर्याप्तता

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रथम बार आयोजित की गई जिसका प्रारंभ अप्रैल 2009 से किया गया।

(2) आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण पद्धति पर्याप्त नहीं थी । रा.जै.प्रा. को यह आवश्यक है कि समय-समय पर आंतरिक नियंत्रण यांत्रिका का अच्छी तरह से जांच कर यह सुनिश्चित करें एवं उन पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई करें।

(3) स्थिर आस्तियों का शारीरिक सत्यापन पद्धति

रा.जै.प्रा. द्वारा स्थिर आस्तियों का शारीरिक सत्यापन का पालन किया गया है।

(4) वस्तु सूची की शारीरिक सत्यापन पद्धति

रा.जै.प्रा. द्वारा सामानों की वसुली हेतु भंडार / वस्तु सूची की शारीरिक सत्यापन हेतु प्रारंभ से प्रथम बार आयोजित की गई।

(5) सांविधिक देयता के भुगतान में नियमितता

रा.जै.प्रा. ने सांविधिक देयता का भुगतान किया है।

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट हिंदी में अनुवाद किया गया है।

प्रयोग किए गए संक्षेपकों की सूची

आ. औ. नि. सं.	-	आयुर्वेदिक औषधि निर्माण संघ
जै.अ.	-	जैव विविधता अधिनियम
जै.प्र.सं.	-	जैव विविधता प्रबंध समिति
भा.वा.स.	-	भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण
भा.सं.नि.लि.	-	भारत संचार निगम लिमिटेड
जै.सं.	-	जैविक विविधता समागम
वि.व और.अ.प.	-	विज्ञान व औद्योगिक अनुसंधान परिषद
जि.व.अ.	-	जिला वन अधिकारी
म.रा.सं.	-	मनोनीत राष्ट्रीय संग्रह
वि.स.	-	विशेषज्ञ समिति
क्षे.प.स्वा.पु.सं.	-	क्षेत्रीय परंपरागत स्वास्थ्य के पुनर्वास के लिए संस्थापन
वि.जै.स.स.	-	विश्वव्यापी जैव विविधता सूचना सहायता
गु.पा.शि. व अ.सं.	-	गुजरात पारिस्थितिकीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
भा.कृ.अ.सं.	-	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
भा.कृ.अ.प.	-	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
भा.जै.सू.के.	-	भारतीय जैव विविधता सूचना केंद्र
जै.अ.दि.	-	जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस
सू.जी.त.सं.	-	सूक्ष्म जीव तकनीकी संस्थान
बौ.सं.अ.	-	बौद्धिक संपदा अधिकार
भा.अ.सं.	-	भारतीय अंतरिक्ष संगठन
भा.व्या.व.(स.प्र.)	-	भारतीय व्यापार वर्गीकरण (समन्वय प्रणाली)
के.व.वि.	-	कर्नाटक वन विभाग
के.रा.जै.बो.	-	केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड
स.म.म.दे.	-	समान मनस्क महाभिन्न देश
म.प्र.रा.जै.बो.	-	मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड
व.व प.मं.	-	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
स.ज्ञा.	-	समझौता ज्ञापन
रा.जै.प्रा.	-	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
रा.प.अ.सं.ब्यू.	-	राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो
रा.पा.अ.सं.ब्यू.	-	राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो
रा.ह.फ.का.	-	राष्ट्रीय हरित फसल कार्यक्रम
सा.व्या.प.	-	समान्य व्यापार पण्य
प.कृ.वि.	-	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
जा.जै.पं.	-	जाति जैव विविधता पंजीयन
पा.कि. व कृ.अ.सं.	-	पादप किस्में संरक्षण व कृषक अधिकार प्राधिकरण
दु.सं.व जो.पौ.	-	दुर्लभ संकटापन्न और जोखिम पूर्ण पौधे
ओ.प्रा.इ.स.के.	-	ओरियोलॉजी एवं प्राकृतिक इतिहास के लिए सलीम अली केंद्र
द.ए.ज.शै.बे.	-	दक्षिण एशिया जल-शैल बेड़ा
द.ए.स.प.का.	-	दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम
सं.शा.	-	संघ शासित
सं.रा.शि.वि.सं.सं.	-	संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति संगठन
सं.रा.प.का.	-	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
पं.बं.जै.वि.बो.	-	पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड

Design by Raghurambut